MR. DEPUTY-SPEAKER : I am not saying that I am not allowing. The Minister himself is prepared to answer questions. If any Member gives notice under rule 184 that he wants a discussion it will be considered.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : वह भी हमने दे रखा है ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : It does not matter; it will be considered.

DR. TRIGUNA SEN : My friend has raised a point--

SHRI H. N. MUKERJEE (Calcutta-North East) : Sir, if you do not mind my submitting certain points, at the moment, certain things have been said to which the Minister must give an immediate reply, because the matter is on record.

DR. TRIGUNA SEN : Firstly, I made a statement which you had permitted me to lay on the Table of the House which I have done. Since it consists of nine pages, I requested Members first to read it. Many charges have been made; that Rs. 70 lakhs have been received by the Congress from somebody. I repudiate this, because if the hon. Member goes through the statement, he will see, hardly could they have made Rs. 70 lakhs in one or two months to pay to anybody? I repudiate this charge. (*Interruption*).

SHRI GEORGE FERNANDES : I repeat the charge.

SHRI H. N. MUKERJEE : A charge has been made, and on the basis of facts, 75 per cent or more increase has taken place. Would the Minister give an interim reply pending whatever discussion. We might have later, because we want to know the position, As it has been raised in the House it has got to be answered.

SHRI GEORGE FERNANDES : I lay it on the Table of the House. (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The only allegation made heve against the Government is that so much money has been taken because of this, and the Minister has repudiated all that. It is on record. Let us close the matter there. When you get the opportunity to discuss it, you may kindly bring out all these things. You have the freedom to do it.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप की इजाजत हो, तो मैं इन प्राइस लिस्ट्स को सदन के टेबल पर रख देता हूं। मैं यह जानना जाहता हूं कि जो दाम बढ़े हैं उन को घटाने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा हैं- मैं आप के सुबूत रख रहा हूं- एक दवा की कीमत फरवरी, 1970 में 1-74 थी, अगस्त में वह 2 96 हो गई। दूसरी की फरवरी में कीमत 1-56 थी, लेकिन अगस्त में 3-07 हो गई। कीमतें दुगनी तिगुनी हो गई हैं।

SHRI K. LAKKAPPA : Even the prices of contraceptives have gone up. Your family planning programme will suffer. (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : If this goes on, I will have to order that nothing will go on record. We have had enough of it. Let us proceed to the next item.

15.13 hrs.

MOTIONS RE. REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट पर बोलते हुए तमाम दलों के मित्रों ने एक बात यह साबित करने की कोशिश की है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज और बैकवर्ड क्लासिज की हालत जितनी सुधरनी चाहिए थी, वा इस साल के बाद भी वह नहीं सुधरी है और उस की जिम्मेदारी इस सरकार पर है। मैं खुद जानता हूं कि रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर और प्रोमोशन के बारे में सरकार

[श्री स० मो० बनर्जी]

द्वारा जो आर्डर्ज़ इश्यू किये गये हैं, आज भी उन को कार्यान्वित नहीं किया गया हैं। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि प्रोमोशन के मामले में भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ को प्रिफरेंस दिया जाये। इस सदन में सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कार्यान्वित किया जायेगा। लेकिन बदकिस्मती से आज भी उस फैसले को लागू नहीं किया गया है। नतीजा यह है कि आज भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लोगों को प्रोमोशन के मामले में न्याय नहीं मिलता है।

मैं एपायंटमेंट्स के बारे में आप के सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। अभी मेरे मित्र, श्री कालिता, ने एन. ई. एफ. रेलवे के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े मुझे दिये हैं। उन से यह साबित होता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लिए जो रिज़र्वेशन रखा गया है, वह भी पूरा नहीं किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आप मेघालय से आते हैं और आप जानते हैं कि उस क्षेत्र में, जिस में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नेफ़ा और नागालैंड हैं, ट्राइबल पापुलेशन की मेजारिटी है। एन० ई० एफ० रेलवे में 31-12-69 को स्टाफ़ की पोजीशन इस प्रकार थी: क्लास वन—190, क्लास टू—266, क्लास थरी—29, 336 और क्लास फोर—47, 534। इस स्टाफ़ में 31-12-69 को शिड्यूलड कास्ट्स और शिड्यूलडट्र इब्ज़ की संख्या इस प्रकार थी क्लास वन: शिड्यूल्ड कास्ट्स—8 और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज—7, क्लास टू: शिड्यूल्ड कास्ट्स—5 और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़—2, क्लास थरी: शिड्यूल्ड कास्ट्स—1931 और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़—568, क्लास फोर (एक्सक्लूडिंग स्वीपर्ज): शिड्यूल्ड कास्ट्स—6, 159 और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़—2237 और क्लास फोर (स्वीपर्ज़): शिड्यूल्ड कास्ट्स—2987 और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़—37। आप वहां की स्थिति का अन्दाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस क्षेत्र में ट्राइबल पापुलेशन ज्यादा है, वहां भी 47 534 कर्मचारियों में से शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के केवल 37 कर्मचारी हैं। क्या यह उन के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्ज़ के माननीय सदस्य यहां पर इन बातों की चर्चा करें और कहें कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, तो उन के बारे में कहा जाता है कि वे विद्रोह की भावना भड़काने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं खुद शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का नहीं हूं। लेकिन मुझे मालूम है कि यह मेहनतकश तबका, जिसे हमारे समाज में आज भी हलालखोर कहते हैं, हरामखोर नहीं, अर्थात् जो हलाल की कमाई खाते हैं, एक लम्बे अरसे से अन्याय का शिकार रहा है। जिन ऋषियों मुनियों ने हमारे समाज में वर्णाश्रम की स्थापना की, उन के द्वारा इन लोगों को शूद्र कह कर इन पर अत्याचार किये गये। उस अत्याचार और अन्याय को खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए थी, लेकिन वे आज तक खत्म नहीं हुए हैं।

मुझे बनारस में विश्वनाथ और अन्नपूर्णा के मन्दिरों में यह देख कर ताज्जुब हुआ कि चारों तरफ घेरा डाल दिया है। वे मन्दिर हरिजनों के लिए खुल तो गये हैं, लेकिन हरिजन विश्वनाथ जी या अन्नपूर्णा जी के सामने जा कर प्रसाद नहीं ले सकता है। उसे तकरीबन दस बारह गज दूर से ही दर्शन करना पड़ता है। अगर मैं हरिजन होता, तो मैं ऐसे मन्दिरों में जाना और दर्शन करना छोड़ देता। अगर मुझे अन्नपूर्णा जी की दूर से झांकी मिलेगी, अगर मैं पास जा कर चरणामृत नहीं ले सकता या विश्वनाथ जी का प्रसाद नहीं ले सकता, तो मैं उन मन्दिरों में नहीं जाऊंगा।

मैं ने अभी ट्रांसफ़र के आर्डर्ज का जिक्र किया है। उन में कहा गया था कि हरिजनों और आदिवासियों को दूर दूर ट्रांसफ़र न किया जाये। उन का प्लेस आफ़ वर्क पास ही रखा जाये। लेकिन उन आर्डर्ज की अवहेलना की गई है। न सिर्फ रेलवेज़ में, बल्कि दूसरे सरकारी विभागों में भी, उन को नीयरेस्ट न रख कर दूर दूर ट्रांसफ़र किया गया है। उस आर्डर को कैन्सल नहीं किया गया है, विदड्रा है। कहा गया है कि हम दूसरे किया गया आर्डर्ज लागू करेंगे।

एन० ई० एफ० रेलवे के चीफ पर्सोनेल आफ़िसर, श्री किदवई ने एक पत्र में कहा है :

> "Since he was initially appointed in Katihar Division which is a separate unit for the purpose of promotion, transfer, seniority etc., you will appreciate that the Railway Board's orders referred to are not applicable in the case of inter-division transfers."

यह उन आर्डर्ज का एक नया ही इन्टरप्रेटेशन है।

जहां तक भूमि मुक्ति आन्दोलन का सम्बन्ध है, हम किस को भूमि दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? कारखाने में काम हरिजन नहीं कर सकता है। वहां उस को स्वीपर का काम करना पड़ता है। उस को वज़ीफा दिया जा रहा है, लेकिन उस की मिक़दार को कम किया जा रहा हैं। अगर वह पुलिस में जाये, तो कांस्टेबल से आगे बढ़ने की कोई गुंजायश नहीं है। (व्यवधान) उस को कांस्टेबल भी नहीं रखा जाता है। जहां तक आर्मी का सम्बन्ध है, कहा जाता है कि वह मार्शल रेस से ताल्लुक नहीं रखता है। इसलिए कि मार्शल रेस की वहां पर जरूरत है।

एक माननीय सदस्य : बेहूदे कहते हैं इस बात को।

श्री स. मो. बनर्जी : आप ही लोगों के मंत्री कहते हैं, उन्हें बेहूदा कहिए।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि क्लास 1 में वह जा नहीं सकते, क्लास 2 में वह जा नहीं सकते तो मैं नहीं समझता हूं कि कैसे वह आगे आएंगे? आज हम अपनी पूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को जिन्होंने संविधान को जन्म दिया, इस देश में मैं पूछना चाहता हूं, उन की मूर्ति सामने रख कर उस पर माला चढ़ा कर, उन के कदमों में सिर झुका कर, जवाब दे जो अत्याचार आज भी हरिजनों पर हो रहे है, उडीसा में 4 लोगों को जला दिया गया, एक एम एल ए को गोली से उड़ा दिया गया, चाहे किसी ने मारा हो, 22 मेम्बरों के दस्खत हुए थे इस की जांच होनी चाहिए, पड़ताल होनी चाहिए, आन्ध्र में पेड़ के साथ बांध कर जला दिया गया, उडीसा में घर में ताला बन्द करके जला दिया गया, किसी ने स्टेटमेंट नहीं दिया। हम इसके बारे में चिल्लाते रह गए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि उडीसा सरकार स्वतंत्र पार्टी की है, राजा महाराजाओं की है। धनकामेल इलाके में, धनकामेल के राजा थे और वैष्णव पटनायक जो यहां पर पहले इस सदन में थे, उन्होंने आन्दोलन किया था। वह कांग्रेसी सदस्य थे लेकिन मेरा जी चाहता है कि उन के पैरों को चूम लूं, भगवान करे ऐसे कांग्रेसमैन हमेशा इस देश में हों। उन्होंने आन्दोलन किया था। उन को नंगा कर के धनकामेल के राजा ने मारा था, चाबुक मारे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि इस को आजाद कराएंगे, देश को राजाओं के हाथ से मुक्त कराएंगे। उसी जगह पर आज इन हरिजनों को मारा गया हैं। आज उत्तर प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं, कुछ गांव ऐसे हैं कि जो ठाकुरों के गांव हैं, या ब्राह्मणों के गांव हैं। वहां पर हरिजन का लड़का बड़े बड़े बालों को रख कर नहीं निकल सकता। उसके बालों को कतरवा दिया जाता है कि

[श्री स० मो० बनर्जी]
तुम हरिजन चमार, तुम्हें क्या हक है बाल बना कर चलने का।

एक माननीय सदस्य : कहां ?

श्री स० मो० बनर्जी : हिन्दुस्तान में, यह हिन्दुस्तान में हो रहा है। मैं आप से कहना चाहता हूं, हरिजन का प्रोसेशन, शादी का जुलूस अगर निकल जाय बैंड बजा कर के और किसी जमींदार के मकान के सामने से निकल जाय तो बाजा गाजा सब बन्द हो जाता है।

आज भूमिहीनों को भूमि देने की बात हो रही है। मैं जानता हूं हिन्दुस्तान में बेकारी बढ़ती चली जा रही है। जमीन हिन्दुस्तान की बढ़ेगी नहीं जमीन हिन्दुस्तान की सिकुड़ती जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भूमिहीन को भूमि दिलाने का आन्दोलन आज हम लोग कर रहे हैं और यह हम करें। सर जे पी श्रीवास्तव साहब के सुपुत्र सनील श्रीवास्तव साहब, कानपुर के मिल-मालिक, उन्होंने 5 सौ एकड़ जमीन रख दी है कानपुर जिले में, बिल्हौर में इसलिये कि डक शूटिंग किया जाय। बरसात का पानी आयेगा, मुर्गाबी आएगी तो वह शिकार खेलेंगे। उस को हम लोग दखल करेंगे चाहे चरण सिंह आ जायें और चाहे गोली चले, चाहे लाठी, उसे हम लोग दखल करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिएगा जब सैलाब आएगा तो एक तरफ मेहनतकश होगा, एक तरह वह लोग होंगे जो पैसे वाले हैं। आज पूरा हिन्दुस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है—एक तरफ पैसे वाले और दूसरी तरफ पसीना बहाने वाले। यह लड़ाई पैसे और पसीने की लड़ाई है। और यह कोई आज ही नहीं है। इस में कौन किस का साथ देगा यह अभी देखिएगा। यह हरिजन तबका पूरे हिन्दुस्तान में कन्या कुमारी से ले कर काश्मीर तक उन को देखिएगा तो हमेशा मेहनत की कमाई उन्होंने कमाई है और खाई है और इस के लिए आज वह आन्दोलन करेगें। लेकिन आज भूमि के बारे में जो चीजें कही गई—इंदिरा जी ने कहा कि अनकांस्टीट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहता हूं अपनी मोहतरिम बहन से कि वह कम से कम सोचें इस बात को कि 23 साल के बाद आज भी जमीन का बटवारा नहीं हुआ, आज भी जमीन उन लोगों को नहीं मिली तो क्या हालत होगी बेकारी की इस देश में ? बिरला के फार्म के ऊपर डांगे साहब या सी पी आई के लोग कब्जा करने के लिए जा रहे हैं। 5 हजार एकड़ जमीन लखीमपुर खीरी में, तराई की जमीन है। जंगल काटा गया, वहां पर रुद्रपुर के रिफ्यूजीज को बसाने के लिए और भूमिहीनों को बसाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा हिन्दुस्तान का भूमिहीन कौन ? बिरला साहब। उन्होंने 5 हजार एकड़ जमीन ले ली। 5 हजार एकड़ जमीन को अगर हम चाहते है कि बट जाय तो बटेगी। यह बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपनी इंडस्ट्री को शहरों में लगा कर वहां क्यों बढ़ रहे है ? क्यों कि वहां पर ऐग्रीकल्चर टैक्स नहीं है, कोई और टैक्स नहीं है। एयर कंडीशन मकान वहां बना रहे हैं, फार्म के ऊपर ऐयाशी के सब साधन इकट्ठा कर रखे हैं जिस से कि बड़े बड़े अफसरों को, आई सी एस को ले चलें, मंत्रियों को उप मंत्रियों को ले चलें, एक्स—गवर्नरों को एक्स एम पीज को वहां पर ले चलें और ऐयाशी कराएं और वहीं पर उन से वादा करा लें कि परमिट दिया जायगा या नहीं दिया जायगा। आप चलिए साथ में। भाई रणधीर सिंह देखेंगे कि यहां से गुड़गांव के रास्ते में जो फार्म बने हुए हैं वह किस के हैं ? आखिर, मैं आप से कहना चाहता हूं, कलेक्टिव फार्मिंग के खिलाफ स्वतन्त्र पार्टी हो सकती है लेकिन वहां कुछ लोगों का आपस में फैसला तो हो सकता है। इसलिए नारा हम लोगों ने क्या दिया है कि जिस जमीन पर किसान का पसीना

गिरा है वह जमीन उस की है। जो हल चलाएगा उस की जमीन होगी। लांगूलदार जमींदार। लांगूल माने हल होते हैं। हल जिसका, जमीन उस की ओर हम लोग लेंगे। आज भले ही आठ हजार या दस हजार लोग जेल चले जायं लेकिन वाकई वह हरिजनों की मदद करना चाहते हैं और तमाम सदन को समर्थन करना चाहिए धरती के बटवारे का। स्वतन्त्र पार्टी के लोग और बलराज मधोक साहब जो हिन्दुस्तान के सब से बड़े जनतन्त्र के पोषक हैं अभी उन्होंने कहा कि हम दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन में लैंड डिस्ट्रिब्यूशन कर रहे हैं। बहुत डिस्ट्रिब्यूशन आप ने किया। चीनी डिस्ट्रिब्यूशन किया दीवाली के समय में, दाल डिस्ट्रिब्यूशन किया आर्मी के लोगों को और अब लैंड डिस्ट्रिब्यूशन करेंगे। भगवान के लिये आप और बड़े हो जायं, दाल का परमिट और मिल जाय आप को, आप डिस्ट्रिब्यूशन करिए खूब। इस के बाद आप ने हेट्रेड डिस्ट्रिब्यूट किया सारे देश में, कम्युनल हेट्रेड, यह आप ने डिस्ट्रिब्यूट किया। जनसंघ के लोग बैंक नेशनलाइजेशन के बाद आर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए गए इसलिए कि सरमायेदारों का सरमाया बना रहे। यह पसीने वालों का साथ नहीं देंगे, यह पैसे वालों का साथ देंगे। तो उन को बुरा लगे या सिंडीकेट को बुरा लगे या और किसी को बुरा लगे पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक पुराने कवि ने कहा था :

बुरा तुम कहोगे अगर हम कहेंगे,
मगर जल्द वह दिन तो आ कर रहेंगे।
उठा कर के खुद लाल झण्डे को बेकश,
कहेंगे हमारी निशानी यही है।।

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I will confine my remarks to the report on the Committee on Untouchability, Economic and Educational Development. I think, the Elayaperumal Committee has done yeoman sernice to the problem of the untouchables. I am, therefor, thankful to him and to the members who were on that committee.

Before I deal with the problems dealt with by the Committee, I will raise the question as to what is the origin of untouchability. I am raising this question because there have been many suggestions and programmes which have been followed in this country in order to remove untouchability. I am raising this question because in the Constitution we have incorporated article 17 to abolish and demolish the institution of untouchability. I am rasing this question because we have passed a number of laws in this country but untouchability persists. Therefore let us go back to the origin of untouchability itself.

Untouchability is a basic and unique feature of the Hindu social system and order. That is the basic fact one has to remember. It has a religious and political origin. This is also an important fact one should never forget. My hon. friends, the Communists and the Socialists, have always argued and my hon. friends on this side also at times advise me that the economic improvement of these classes and castes alone would be able to solve their problems. I beg to differ with them, more specially with the Communists and the Socialists. In this country it is the social determinism, the place and the position of a man's brith that determines the place and position of the individual in society. This social determinism, which is the governing principle, is sanctified in this country by Smritis and Shastras. So long as the people of this country worship and hold in reverence those Smritis and Shastras which sanctify the principle of social determinism, I doubt very much......(*Interruption*)

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI K. HANUMANTHAIYA) : Nobody nowdays reads them.

SHRI R. D. BHANDARE : I will come to the point whether reading is the same thing as practising it or not. This question

[Shri R. D. Bhandare]

is also dealt with by the Committee. What I was trying to say was that so long as these things countinue, untouchability will persist, persecute and haunt the mind of the Indian people. What is the solution? The solution lies in the reform of the Hindu social order. The leadership with full of vision, with full of courage, will alone be able to reform the Hindu social system.

When, I came to Parliament, some of my friends and, more specially, Dr. Karan Singh, formed a study group in which we tried to discuss as to what extent ther rigours of untouchability have been reduced or lessened. I happened to explain the position, the real position of untouchability, as is practised in this country, At that time, they did not believe that untouchability will continue to persist and persecute the untouchables and Scheduled Caste people of this country.

There are two aspects of the problem of untouchability. One is the literal meaning of it and the other is the notional meaning of it. So far as the literal meaning is concerned, don't-touch-the-untouchable is the literal meaning of it. Both in villages and towns, in rural and urban areas, to a great extent, the rigours of touch-me-not are reduced. But what are the notions? The notions persist What are the attitudes? The attitudes persist. The feeling which is born with the birth of an individual persists. That persists continuously. That is the position. So long as the social system is not changed and modified and, if necessary, completely demolished, untouchability will not be eradicated in this country.

Then, the caste system is based on the principle of inherent inequality. The inequality has been the curse, the bane, of the social system which persists in this country. It is, therefore, necessary not to talk in terms of socialism, more socialism, or social justice. I would put it like this. To talk of social justice without equality, social economic and political, is a social hypocrisy or public immorality.

Now, I would like to draw your attention to the constitutional provisions. These are all high sounding words indeed. I want to ask. To what extent the principle of equality has been translated into action in the attitude, in the conduct, of the Indian people. I would like to invite your attention to article 17 and the various Acts passed under that article in pursuance of the compunctions and sanctions of that article. Then, article 23 speaks of abolition of slavery, forced labour, and all that. I will deal with only these two articles.

Article 23 prohibits traffic in human being and forced labour. I am happy the Law Minister is here from that very area where traffic in human beings is carried on a large scale. I happened to contest elections in 1962 on the border side of Mysore from the Jat taluk. There, I found, to my great surprise and shock, that the traffic in human beings, more specially, what is known as Devdasi system was being carried on un-ashamed, un-abashed, on a large scale. Let me ask a simple question which has been raised by the Committee itself. How many persons are aware of article 17 of the Constitution and the Untouchability Offences Act of 1955, or for that matter the Removal of Disabilities Act passed in Maharashtra in 1949 or U.P. Removal of Disabilities Act of 1946. How many persons are aware of it? No statistics are available because no survery has been taken so long. But there are certain slight or few examples here and there. I wish simply to draw your attention to page 46. The Registrar General of India has carried out a survey, to some extent but the Committee has gone to the extent of saying :

> "However, the general impression which we gathered during our tours is that the figures cannot be truly representative, which prompted the Committee to conduct a pilot survey in one of the districts of UP."

What is the revelation or what that pilot survey revealed? I shall simply read out the paragraph :

> "It will be seen that out of 241 persons interviewed only 128 persons *i. e.* 53.1% were aware of the prohibition of untouchability under the law."

Then I will give only one illustration. As far as Police officers were concerned, the

figures are given. The table is given. The Committee concludes :

> "As regards the provisions of the Act, the figures are unsatisfactory. It is a matter of great regret that out of 30, only 2 police officials could tell something about the provisions of the Act. (The Untouchability Offences Act.)"

In the forcing agency, the implementing agency, out of 30, only 2 police officers were aware of it. This is the awareness that prevails. But I am not worried about whether people are very much aware of the provisions of the Constitution or the Uutouchability Offences Act of 1955. Some of the cases were taken to the court and what is the sense of justice the judges and Magistrates have ? It is really very revealing, I will simply read out and I shall not pass any remark. This report says :

> ,'The Untouchability (Offences) Act of 1955 has provided that a person who is convicted of an offence under the Act, 'shall be punishable with imprisonment which may extend to 6 months, or with fine which may extend to Rs. 500 or with both'."

My lawyer friend will agree that this is the provision. Now what is the position ? What is the justice meted out under this Act ?

> "From the above table (the table is given) that out of 23 cases which ended in, conviction 73.9% were fined only. In 8.7% of cases the accused were awarded imprisonment only and that too in one case of one week and in the other for 7 days. Hardly in 4.3% of the cases we found that the accused were sentenced to fine or imprisonment both. In 8.7% of the cases the accused were warned only. The above table further reveals that out of those cases in which the accused were fined only in 70.6% of the cáses the accused were fined upto Rs. 5 varying from Re. 1 to Rs. 3, Rs. 5, Rs. 10 and Rs. 25 only. It would be seen from item No. 1 (Appendix is given) relating to the refusal to serve coffee that even after the admission of guilt by the accused, he was fined Rs. 3 only."
>
> It is thus quite clear that the punishment which is awarded to the accused under the Act is quite inadequate.
>
> ......The Committee is of the view that unless a minimum sentence is made mandatory by suitable amendment of the Act there could be no improvement at all.

Now, Sir, what about the agency; the prosecuting agency which is to do the prosecution under the Act ? It has no interest. A number of such agencies do not know about the provisions at all.

I do not want to take the time of the House. I would come to Art. 23. I have gone through the debate in the Constituent Assembly at that time. Our founding fathers of the Constitution desired this, and they had great hopes, that forced labour as institution of slavery would be abolished. What is the position today ? After 20 years, the institution of slavery still persists in all its ugly form. In how many States ? In all the States. Nobody is ashamed of it or is prepared to abolish or demolish that institution, I have seen it in all the villages. If a person from the family of a Brahmin dies, who gives the massoge to his relatives ? The Scheduled caste people. If a marriage takes place in a village, who breaks the wood ? Who does it ? The Scheduled Caste people do it. How much is paid ? In Indian society a person is paid according to his status. Status is determined according to his birth. Birth is because of the social systems, caste systems. That is the position in all our villages.

Without taking the time of the House, I would like to read the conclusions of the Committee. It says :

> "The existence of bonded labour or forced labour is an indication of stake to human dignity and its persistence even after 20 years of independence is apparently a big challenge to the democratic base of the land."

We talk of human rights; we talk of human values; we talk of human justice;

[Shri R. D. Bhandare]

we talk of culture too. Will my hon. friend Mr. Madhok tell us to what extent we are cultured ?

SHRI BAL RAJ MADHOK (South Delhi) : You are a cultured man.

SHRI R. D. BHANDARE : I am talking of the cultural aspect, that is, the human values that we cherished and that we have enshrined in our Constitution. In this connection, I wish to qoute what Mr. Gardner said regarding Education. He said :

> "It is through the process of Education, both formal and informal that human standards and ideals are raised. Educational develepment therefore is the essential pre-requisite to the all round development of any community economically, socially and politically."

The figures have been quoted by my hon. friend Shri Suraj Bhan and other Members. Therefore, I need not bother you and the House about the percentage of literacy prevalent among the Scheduled Castes and more especially the Scheduled Tribes, barring those in your State, Sir, and especially your area.

SHRI BASUMATRI (Kokrajhar) : The missionaries were responsible for that.

SHRI R. D. BHANDARE : I am aware of the position prevalent in your district and in some of the States like Nagaland and others. I am aware also of the reasons and the causes for the same, and I have not forgotten them. But what is the position in the rest of the country ? That is well known, and therefore, I need not deal with that aspect.

Agan, what about scholarships ? It has been said that education is given and scholarships are distributed to these people. But to my surprise and shock I at times hear from the Members and the teachers in schools and colleges that these boys of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have become the sons-in-law of Government, because they get scholarhips. It is said *'Ye to javwai ho gaye'* because they get scholarships. I need not quote the number of students who join schools and colleges and the number of scholarships that are awarded to the students. I know that Government are trying to make more and more provision for this. But by making more provision, we are not giving a bounty or distributing mercies to these people. After all, they are the inhabitants of this country and they are the citizens of this country; and they are wedded to democratic life. Therefore, is it not our duty to find more money for educational purposes ? We must.

Again, there are a number of instances where foreign scholarships are not given to our students. I would submit that more foreign scholarships should be given to the students. Why do I say so ? My hon. friend Shri Bal Raj Madhok may like it or may not like it. But......

SHRI BAL RAJ MADHOK : I am in favour of giving all the scholarships to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

SHRI R. D. BHANDARE : That is very good, and I am thankful to him. But looking at the position in Delhi, I am not very much satisfied with his statement or proposition.

SHRI BAL RAJ MADHOK : But the conditions during these three years have improved a great deal. Let him compare the condition now with what prevailed some years back.

SHRI R. D. BHANDARE : I shall be happy if the position has improved. But to my great chagrin and dismay I find that the position remains as it was. Therefore, I insist that more provision must be made for foreign scholarships.

SHRI DEORAO PATIL (Yeotmal) : More provision in the Fourth Plan.

SHRI R. D. BHANDARE : Time will not permit me to deal with all the points.

Now, I shall make a few suggestions. What if the solution to this problem ? If we merely do a few things here and there, that

is not going to improve matters, and the lot of these people is not going to be improved. Therefore, my first suggestion is this. Government have a number of policy resolutions such as the Industrial Policy Resolution, Economic Policy resolution, export trade policy resolution and so on. Similarly, they must recognise that this is a national problem, and they must have a social policy resolution to remodel the structure of social institutions. It is not enough to pass a resolution or have a policy and pay lip sympathy to that policy. We must have a policy and must implement it. We must remodel the social institutions in this country. So long as we do not apply our mind to this aspect, I doubt very much whether there could be peaceful progress in this country. Otherwise, the land grabbers are there to grab anything and everything they come across.

SHRI K. HANUMANTHAIYA : Including Ministers !

SHRI R. D. BHANDARE : I may assure the hon. Minister that Harijans are not of that type. They are more wedded to democracy than the rest of the people. What is the reason ? The reason is that in the Constitution there certain human values enshrined. Because of those values, we have some values in this country. Otherwise, Manu will come back again and *chaturvarna* will prevail. Our Constitution has decreed : One man, one vote, one value. All must stand on the same basis, on equal terms and beteween the same parallel rights. This is the basic, fundamental principle enshrined in the Constitution. Therefore, it is in the interest of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes to uphold them. I appeal to all of them not to adopt unconstitutional methods, unreasonable methods, unlawful methods, bnt retain the Constitution and democracy (*Interruption*). I have a right to appeal to Shri Madhok also. He should forget his old philosophy. This is my first suggestion.

My second question is : create new loyalties beyond and behind castes, one's family, so that we can have a different attitude towards others. So lang as we live within the community, it is not an open society. If one's loyalty is beyond one's caste, then it will be considered an open society so that we can remove and destroy to that extent the social evils.

Hereditary piresthood the monopoly of the priesthood, must bedomolished.

AN. HON. MEMBER : In Bihar, it is demolished.

SHRI R. D. BHANDARE : Bihar is the worst offender in this respect. Till now I was restraining myself. But now be has provoked me, as if I have not gone to Bihar and Rajasthan and other places where they have a caste-ridden society. Caste is the very basic element of Indian society now. So let us not boast about something we have not done. We must have priests like the Buddhist monks who are not hereditary. who live a life of devotion to social service and discipline of mind. These should be the two criteria or qualifications for any person to lay claim to be a priest.

Thirdly, there should be a comprehensive system for biological assimilation. In other words, there ought to be mixed marriages. This has been a slogan for a long time, but it has not been translated into practice. In Maharashtra, we announced *baksheesh*, some donation, for mixed marriages, but it has failed. It has failed everywhere. Therefore, let us be serious, let us be honest to ourselves. Let us have mixed marriages, on mixed bustees, mixed localities in villages.

Then punishment must be enforced for social as criminal and collective offences. Otherwise, there could be no panacea to the problem of untouchability.

With these few words, I conclude.

SHRI SEZHIYAN (Kumba Konam) I am sorry to say the attention given by Government for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and removal of their social disabilities is very

[Shri Sezhiyan]

superficial and scant as can be seen from the meagre time and opportunities reluctantly allowed for discussion of this subject in this House. Today's discussion covers three reports clubbed together. The 1966-67 report was presented to us on 24 Appril, 1968 and we are discussing it after two years. The 1967-68 report was laid on the Table on 15 May, 1969. Even if you go into past history, there has been no prompt effort in discussing these reports. In the past seven years three discussions took place. The 14 and 15th reports, of the Commisioner had been discussed together in 1967 August ; the 12th and 13th, in August 1966. By discussing two or three reports for a scant two hours we get solace that we have done everything for them. Even the office of the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes does not receive the attention due from this Government or the State Governments ; the Commissioner's report makes lamentable reading ; they wail about delay in getting answers or getting evasive replies and about going from pillar to post. The latest report reveals that two Government departments refused to give particulars asked for by him. When the Commissioner wants to know particulars of employment in the public sector undertakings — Rs. 3000 crores of public money had been sunk in them and sends questionnaires, reminders after reminders and so on, he was able to get replies from only eight public sector undertakings out of a total of 83. This is the respect shown to that office by the Government and its institutions and departments. I do not know whether such discusions as we have touch even the fringe of the problem.

It does not require a report from a Commissioner or an eminent sociologist to discover for us the degradation and the inhuman conditions of the Scheduled Castes and Tribes in this contry. Just a walk in any rural part of India will reveal the disgraceful degeneration heaped on six crores of people, for centuries. They are born as untouchables ; they are born not in modern hospitals or big villas but in small hovels in cheries and are destined to play and live in the mud and dust. Even drinking water is denied to them. They must have separate wells ; they cannot draw water from any other place or walk through the streets of caste Hindus even now. They cannot wear shoes or Chappals. Subtly or openly these things are practised even today. I am told that he cannot have even his moustache as he likes ; it should be downward, not upward. The services of a barber or a washerman are not available to him though he is prepared to pay the amount.

16 hrs.

What to speak of temple entry ? Temple entry has become a farce in many places under the guise of private ownesnip, because, even gods are kept in private owner ship of the feudal lords. In those places the Harijans cannot enter the temples. I am amused to read that in one place, where temple entry is allowed, the Harijans can go inside the temple and worship the deity but not along with the other people. There are two daises raised. On one dais, the Scheduled Caste people can go and stand and worship the deity, and on the other dais, the other caste Hindus can stand and worship the deity. Even inside the temple, segregation has been brought in.

Even a child is not allowed to forget that he belongs to the Scheduled Castes. If he attends a public school, along with the other caste Hindus, he is made to sit outside in the verandah, because the report says that in many places they are not allowed to sit along with caste Hindus on the benches inside the school. This is not only confined to the schools in the rural parts. The report says that in many colleges and hostels attached to Government institutions, the students belonging to the Scheduled Castes and Schednled Tribes are not allowed to dine in the common mess. That is given out in the report. Also in one college, a student was forced to remove the portrait of Dr. Ambedkar which he had kept it in his room. Even a portrait of an 'untouchable' leader becomes untouchable to the so-called caste Hindus. To that extent, degradation has gone deep.

Suppose a student comes out of the college and wants to become a teacher, he

is not taken in a school where the caste Hindus are employed. The report says that in one particular case, a teacher belonging to Scheduled Castes went and reported to a school. The headmaster said, "You have been accepted as a teacher, but do not teach here ; you simply sign and go home, because caste Hindus are here. " To that extent, even the pure waters of the educational fountains are contaminated by this contankerous degradation.

In one place, a Scheduled Caste man was elected a Panchayat President, but he was forced to resign from the post. We celebrate the Gandhi Centenary. Gandhi stood for the abolition of untouchability. But what happens ? We celebrate Gandhi Centenary but things go on in the same old manner. Even in the birth-place of Gandhiji, in Probander, the report says that the Committee was informed that it is difficult for "an identified Harijan to enter a temple or a hotel." A Harijan boy was beaten for entering a hotel in Porbander, a place which is hallowed by Gandhiji's birth.

In Wardha, where the Mahatma took his abode and built his ashram at Sevagram, what is the practive ? The Cammittee reports that even in Sevagram, Wardha, the Scheduled Caste people cannot get the services of a barber or a washerman. That is how the memory of Mahatma is cherised in these places. This is a shame, as Shri H. N. Mukerjee says. This is a disgrace worse than anything else found anywhere in the world. This is worse than Apartheid. It is a disgrace and degradation to any part of the country, wherever it happens.

In recent years, burnings have taken place ; lootings are being done in a very freehand manner, and women are being molested simply because they belong to the Scheduled Casses. There is an impression in the country that whatever they do to these untouchables, to the Harijans, they can get away with it. That is the feeling, whatever may be the statute that is put on the book, whatever name you give to your legislation,—Untouchability (Offences) Act or anything else,—that does not go a long way. While going through some of the judgments delivered by various courts, the Committee discovered "that some of the cases failed, *inter alia*, on account of the procedural lacunae and lack of interest on the part of police officials." The police are drawn from caste Hindus and they have caste affinities. Therefore, they are not bothered. The law's delays are very peculiar, the report refers to one trial of a case in Samner taluk, District Nasik, which spread over two years. There was a complaint by a Scheduled Caste man against a caste Hindu under the Untouchability (Offences) Act. The case was admitted, and there were as many as 27 adjournments. On the 28th adjournement, the complainant did not go to the court and the case was dismissed. The unique feature is that during all the previous 27 adjournments, the accused never came to the court, but the complainant was going to the court. On the 28th adjournment, the complainant did not go and the case was unceremoniously dismissed. Therefore no amount of statutory regulations is going to check it.

This is a phenomenon of sociology. The Hindu social fabric has been made like that. There may be umpteen Acts but the people are not aware of them. The affected parties are afraid to complain against caste Hindus. Even if they do, many people do not want to come as witnesses and give evidence. The delay of law is notorious.

The report points out the scant attention given to the Act. The Central Government asked the States to print the Act in the vernacular and distribute it to all the villagers. One State brinted 500 copies of this Act in the vernacular in 1961. But when this committee went to that State in 1968, 483 copies were lying undistributed. That means, only 17 copies of the Act were distributed ; that is the torpid way to lackle such a big problem.

We have a big ministry here for social welfare. But what is the money allotted for this purpose in the grandiose Five Year Plans. In the first plan, the *per capita* amount spent on scheduled castes was 26 if it had been in rupees, it would have brought us some satisfaction. but it was 26 Paise per head. In the scond plan, it was 99 paise. and in the third plan 118 paise. With these paise, being spent, I do know how

[Shri Sezhiyan]

many millennia Government will take to touch even the fringe of the problem.

Education, of course, is the main thing, but something more than education and economic development is required to efface untouchability comptetely. It is something like a birthmark of a person. As soon as a person is born as a scheculed caste, he is destined to die as a scheduled caste if he wants to remain in Hindu society. Many figures have been given to show their meagre proportion in Class I and Class II services. But even if he becomes a first class graduate and gets distinction in IAS, the stigma is not going to leave him. I know one IAS officer in Rajasthan who happened to be the Private Secretary to the Minister for Social Welfare in the State Government. When he assumed that office, he wanted to live in a decent locality where caste Hindus were predominant. But he was refused a dwelling in that place and he had to go to a *bhangi* colony in Jaipur. Not only in Rajasthan but throughout India it is happening. Whether it is Jaipur or Visakhapatnam or Mysore, I am very much ashamed that such things should happen.

If we want to tackle untouchability, we have to go somewhat deeper into the problem, because this is only a symptom of a deeper malady which is worse than apartheid, sinister than segregation and shameful than slavery known anywhere in the world. Unless we go to the rooot cause, we cannot solve it. The Elayaperumal Committee has opened its report with a very sensible and good base and I feel the Government should take note of it. The Report says :

> "The problem of untouchability is, therefore, inseparably linked up with the question of caste system and the social set up based on that. It is an indisputable fact that the caste system is the dominating social force in this country. Hence any attempt to remove untouchability without striking at the root of the caste system is simply to treat the outward symptoms of a disease or to draw a line on the surface of water. Untouchability cannot be abolished in this country unless the social order is changed by establishing new values, and for this purpose the values based on the Hindu religion must be changed first."

It further says :

> "A clear realization of this fact on the part of the people is the pre-condition for any steps towards a social reconstruction resulting in the removal of untouchability for Scheduled Castes in this country."

Therefore, unless we go to the root of the matter unless the caste system is attacked at its very base, whether it is sanctified by custom or Shastras or Mandhata, we cannot solve the problem. We want human dignity, human status and place for those who are called untouchables in this country.

In fact, they have not been untouchables in the moral sense. It is the caste Hindus who have perpetrated an immoral act on them. The untouchables have not exploited other people and they have not touched other people's property. We eat the food they produce and then we say : don't touch it. They dig the well and from that well we draw water. Yet we say to them : do not touch that water'.

In our Constitution we haye inscribed words like democracy, liberty, enquality. and fraternity. They become mere empty words without any meaning or content if we keep away a sizable section of our population. My speech will not be complete without quoting Dr. Ambedkar, who said as early as 1936 as to how true democracy will come to a country. He said :

> "Democracy is not merely a form of government. It is primarily a mode of associated living of conjoint communicated experience. It is essentially an attitude of respect and reverence towards fellowmen. Any objection to liberty ? Few object to liberty in the sence of a right to face movement in the sense of a right to life and limb.........Why not allow liberty to benefit by an effective and com-

petent use of a person's powers ?... To object to this kind of liberty is to prepetuate slavery. For slavery does not merely mean a legalised form of subjection. It means a state of society in which some men are forced to accept from others the purposes which control their conduct".

Therefore, if we want to announce to the world that we believe in democracy, liberty, fraternity and equality, we have to liberate our own fellowmen form the mire of *cheris*, from the segregation of the untouchables. Unless we do that, our society cannot ever claim to be a democratic society where all are equal.

Our present Minister of Law and Social Welfare was the head of the Administrative Reforms Commission. Now I call upon him to preside over another commission meant for social reform. Administrative reform can be done from the Secretariat but social reform has to be done throughout the country. So, I would also appeal to parties which are very much concerned with Indianising people : here is a set of more than 60 million people who are Indians but are not treated as human beings. First of all, let us raise them to the level of human beings. Then alone would we be in a position to build a democratic India of liberty, equality and fraterity.

श्री साधूराम (फिल्लौर) : सभापति महोदय, प्राज हम तीन साल की शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्टों और अनटचेबिलिटी के मुताल्लिक पेरुमल कमेटी की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। मैं बड़े दुख के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने के बावजूद शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट तीन साल तक इस हाउस में पेश नहीं की जा सकीं। इन रिपोर्टों के लिए टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो इसको एक फालतू सा महकमा समझा हुआ है। वह इस की कोई परवाह नहीं करती है। लेकिन वह असलियत को जाने, इस लिए मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

हमारे देश में दस करोड़ के लगभग शिड्यूल्ड कास्ट्स हैं और पांच करोड़ शिड्यूल्ड ट्राइब्ज हैं। अगर अदर बैकवर्ड क्लासिज को दस करोड़ मान लिया जाये, तो इन पिछड़े हुए लोगों की तादाद कितनी हो जाती है? लेकिन इन जातियों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इन को केयर नहीं करता है। मैं जानता हूं कि कांस्टीट्यूशन में इन के लिये रिजर्वेशन आफ सीट्स किया गया है, जिस के कारण लोक-सभा में 77 मेम्बर कास्ट्स के और 37 मेम्बर शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के मौजूद हैं। 521 मेम्बरों के हाउस में इन 114 मेम्बरों की कोई परवाह नहीं की जाती है और इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि उन लोगों के क्या विचार और सुझाव हैं और इस बारे में गवर्नमेंट का क्या फंक्शन है। हम देखते हैं कि देश की छोटी छोटी प्राबलम्ज के लिए तो यहां पर कई कई घंटे डिबेट होती है, लेकिन पंद्रह करोड़ लोगों से ताल्लुक रखने वाली रिपोर्टों पर तीन साल तक कोई विचार नहीं हो पाया। इस का मतलब यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का कोई महत्व नहीं है।

बाइस साल की आजादी के बाद और यहां पर अपनी गवर्नमेंट बन जाने के बाद भी कांस्टीट्यूशन में इन लोगों के लिए जो सहूलियतें और रियायतें रखी गई हैं, उन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इस का मतलब यह है कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है और न ही कांस्टीट्यूशन के प्राविजन्ज का इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए कोई कदम उठा रही है। अनटचेबिलिटी के बारे में एक ऐसा एलापेरूमल कमेटी बनाई गई। इस के अलावा शिड्यूल्ड कास्ट्स के वैलफेयर के लिए एक पार्लियामेंटरी कमेटी बना दी गई है, जिस का मैं भी मेम्बर हूं। गवर्नमेंट और भी कई कमेटियां बनाती रहती है। लेकिन ये कमेटियां फायदेमन्द नहीं हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर इस लिए

[श्री साधुराम]

मुकर्रर किये गये थे कि वह हिन्दुस्तान के हालात को देख कर गवर्नमेंट के सामने रिपोर्ट पेश करें, वह रिपोर्ट हाउस में पेश हो, उस पर कुछ विचार किया जाये और उन लोगों की भलाई के लिए कुछ नये कदम उठाये जाएं। लेकिन यह सब कुछ बेकार नजर आता है।

स्टाइपेंड्ज और स्कालरशिप्स के बारे में बहुत से मेम्बरों ने कहा है। मैं उस को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं, और पहले भी हाउस में बैठते रहे हैं। जब भी यह डिस्कशन हुआ है वह मिनिस्टर मौजूद होते हैं। लेकिन कहने के बावजूद उन के कान पर जूं नहीं रेंगती। इस का मेरी समझ में कुछ मतलब नहीं आता है कि वह कुछ करते क्यों नहीं हैं? रिजर्वेशन का फुलफिलमेंट जो है उस के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी में हम देख रहे हैं, जिस भी स्टेट में हम जाते हैं, किसी भी स्टेट में रिजर्वेशन कोटे के मुताबिक वह रिजर्वेशन कहीं पूरा नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट में जो दर्ज है उस को हाउस के सामने बहुत से मेम्बरों ने रखा है। पढ़ कर हैरानी होती है कि आजादी के बाद 20 साल तक यह गवर्नमेंट चलने के बाद भी कुछ परसेंट भी शेड्यूल्ड कास्ट सारे स्टेट्स में नहीं आ सके।

इस के अलावा और भी तकलीफें हैं। अनटचेबिलिटी की तकलीफ है। जमीन उन को मिलती नहीं। झोपड़ों में रहते हैं। नीले आसमान के नीचे लेटे हुए हैं। कपड़ा पहनने के लिये नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। क्या यह किसी और ने करना है? इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या यह फर्ज नहीं बनता कि कई करोड़ आदमी जो पशुओं की हालत में इस वक्त रह रहे हैं उन का अपलिफ्टमेंट करे? गवर्नमेंट का क्या यह फर्ज नहीं बनता? अगर समझते हैं कि नहीं बनता है तो यह डेमोक्रेसी इस देश में चल नहीं सकती। उस को चलाने की किसी में ताकत नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि लैंड ग्रेब का जो आज कल मूवमेंट चल रहा है यह बात तो दरअसल कुछ जंचती है कि आज तक लैंड रिफार्म का जो कानून है वह स्टेटों में लागू कर दिया गया, लेकिन वह बराये नाम हो गया और वह जमीन उन लैंड लेस लोगों को नहीं मिली, उन गरीबों को नहीं दी गई जो खेती करते हैं। बनामी कर के अपने चाचा, मामा, ताऊ और अन्य रिश्तेदारों के नाम वह जमीन कर दी गई और इस तरह लैंड रिफार्म तो पूरा कर दिया पर उस में असली डिस्ट्रिब्यूशन लैंड का नहीं हुआ। अब वह जमीन के लिए जो झगड़ते हैं, लड़ते हैं तो हम कहें कि जमीन के लिए तुम क्यों लड़ते हो, हम इस बीस साल के बाद अब देंगे तो वह कहते हैं कि आप पहले भी दे चुके कई दफा, हमारा अब कुछ यकीन नहीं रहा तुम्हारे पर कि तुम लैंड रिफार्म असली मानों में कर दोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि यह स्टेट सबजेक्ट है। क्या जिस देश में कांस्टीट्यूशन में कोई चीज प्रोवाइड हो और स्टेट उस को इम्प्लीमेंट नहीं करते तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उस के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं ले सकती? अगर ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप को साबरेन बाडी, समझती है इंडिया की और अगर सब से सुप्रीम पावर अपने आप को समझती है, कांस्टीट्यूशन में पार्लियामेंट के अन्दर अमेंडमेंट होता है तो क्या यह कह कर अपना यह हक दबाया जा सकता है कि हमें तो कुछ करना ही नहीं है? जहां आज स्टेट्स में दूसरी पार्टियों की गवर्नमेंट बनी है उस से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट भी वहां रही है। दूसरी पार्टीज की गवर्नमेंट पर हम को इतना एतराज नहीं है जितना अपनी गवर्नमेंट पर हम को एतराज है कि वह उस को स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकी और जमीन का डिस्ट्रिब्यू-

शन नहीं हो सका। संत विनोबा भावे का नारा है कि रात अंधेरी कट के रहेगी, धन और धरती बंट के रहेगी। लेकिन वह कब बंटेगी इस की कोई मियाद नहीं है।... ....(**व्यवधान**)...अकालियों के राज में भी क्या हुआ ? पंजाब में गुरनाम सिंह के राज में भी कुछ नहीं हुआ, यह मैं जानता हूं। मेरा कहने का मतलब तो यह है कि जबानी हमदर्दी तो बेशक कर सकते हैं। वह मेरे दोस्त करते हैं लेकिन गुरनाम सिंह मिनिस्ट्री ने तो यह और भी किया था कि जो पंजाब में हम ने जमीन का कानून कांग्रेस गवर्नमेंट से बनवाया था वह भी ठप कर दिया था। उस वक्त उन को लड़ना चाहिये था, गुरनाम सिंह को कहना चाहिये था कि हरिजनों को जमीन दे दो। लेकिन नहीं किया। इसी तरह से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो जमीन का झगड़ा है जमीन तकसीम होना जरूरी है चाहे वह इस तरीके से हो, चाहे कानूनी तरीके से हो। हम इस चीज में विश्वास करते हैं, हम गांधीज्म में विश्वास करते हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। हम यह कहते हैं कि लड़ाई झगड़े के बिना शांतिपूर्ण तरीके से जैसे हिन्दुस्तान को आजादी मिली थी उसी तरीके से जमीन की तकसीम भी हो जाये और पूंजीपति जो बड़े बड़े बने हुए हैं उन का धन गरीबों के पास जायें। उस के लिए कोई तरीका बनाया जाये। मेरा कहने का मतलब यह था कि यह जो धन और धरती का बटवारा है उस के लिए कानून के जरिए से लोगों में विश्वास नहीं रहा कि वह बंटेगी। अब उन को यह ख्याल आ गया कि हम जोर से इन चीजों को बांटेंगे तभी बट सकती है। आज हिन्दुस्तान में समाजवाद का हमारा नारा है। समाजवाद के माने हैं इक्वलिटी लाना, बराबरी लाना। समाजवाद का नारा यह नहीं है जो हालत आज देश में है। इस देश के लोगों को तीन क्लासेज में बांटा जा सकता है—अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। लोअर क्लास से उनको उठा कर मिडिल क्लास के बराबर लाया जाये और अपर क्लास को नीचे करके मिडिल क्लास के बराबर लाया जाय तब तो हम समाजवाद का नारा कुछ पूरा कर सकते हैं। लेकिन अभी भी बीस बाईस साल आजादी आने के बाद भी यह हो कि पूंजीपति तो और ज्यादा पूंजीपति हो गया और गरीब और ज्यादा गरीब बन गया तो समाजवाद का नारा हमारा तो एक हंसी मजाक के बराबर रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस को पूरा करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बैंक नेशनलाइजेशन किया (**व्यवधान**)... मैं जो कह रहा था वही बात वह भी कहना चाहते हैं, वही मैं भी कहना चाहता हूं। बैंक नेशनलाइजेशन होने के बाद गरीब लैंडलेस हरिजन को बैंकों से कर्जा नहीं मिल रहा है। मैं यह गवर्नमेंट की नोटिस में लाना चाहता हूं। वह उस की सैक्योरिटी मांगते हैं तो सैक्योरिटी जमीन की होगी जो जमींदार ही दे सकता है या पूंजीपति ही दे सकता है।

अब मुझे कुछ सजेशंस आप के सामने रखने हैं। वह यह है कि गवर्नमेंट को पूरे ध्यान से इस चीज को देखना चाहिए, कुछ मैं ऐसा समझता हूं कि प्लानिंग कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उस में यह कमी है लोअर क्लास के लोगों को ऊंचे उठाने की प्लानिंग में उस ने गलती की है। मिडिल क्लास और अपर क्लास को ज्यादा पूंजीपति बनाने के प्लान उस ने बनाए हैं। यह बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें, दस दस मंजिला कोठियां और दस दस मंजिले दफ्तर बनाने की जरूरत नहीं है जब कि इस देश के करोड़ों आदमी इस वक्त रोटी से भूखे हैं, कपड़े से नंगे हैं, मकान रहने के लिए नहीं है और वह गरीबों का तबका लेबर क्लास मर रहा है, गरीब किसान मर रहा है। 22 साल की आजादी के बाद भी अगर यह हालत हो तो जरूर ही यह समस्या सामने आती है, फिर

[श्री साधूराम]

जरूरी हो जाता है कि इन्कलाव आना चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन में मैं समझता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट का मेम्बर रखा जाये। दूसरी मेरी तजवीज यह है कि जमीन का डिस्ट्रिब्यूशन हो। जमीन की तकसीम किये बिना देश आगे बढ़ नहीं सकता है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरीके से करे, जो स्टेट गवर्नमेंट इस कास्टीट्यूशन को मानने के लिये तैयार नहीं हैं उन के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट फौरन ऐक्शन ले। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बैंक से जो लोन मिलते हैं वह हरिजनों के लिए बिदाउट इंटेरेस्ट मिलने चाहिए। उस का कोई सूद न हो और हर गरीब को लोन मिले जिससे वह स्माल स्केल इंडस्ट्री चला सके और अपनी जो छोटी जमीन है उस में काश्त कर सके। चौथी मेरी तजवीज है कि रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करवाया जाये। होम मिनिस्ट्री पर जोर दिया जाय कि वह जो रिजर्वेशन उन्होंने कायम किया है जितने परसेंट उस को पूरा करने के लिए एक स्ट्रिक्ट आर्डर जारी कर दें। जिस मुहकमे में वह रिजर्वेशन पूरा न हो। उस महकमे के इन्चार्ज को सख्त सजा दी जाये, जो रिजर्वेशन को पूरा करने में कोताही कर रहे हैं।

सातवी बात—शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्ज की प्राबलम को नेशनल प्राबलम तसव्वुर किया जाये। मैंने अपनी हर स्पीच में यही कहा है कि इस को नेशनल प्राबलम तसव्वुर करते हुए इस के लिये एक सैप्रेट मिनिस्टरी बनाई जाये ताकि इन मामलों को हल किया जा सके। मैं सैप्रेट मिनिस्टरी इस लिये चाहता हूं कि बीमार को बीमारी का पता होता है, तन्दरुस्त आदमी को बीमार की बीमारी का अहसास नहीं होता, उस को पता नहीं होता कि बीमार की हालत क्या है। मैं ला-मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहना है कि ये इस को इम्पलीमेंट करवा ही नहीं सकते, क्योंकि इन को बीमारी का पता ही नहीं है।

आठवी बात—आज हरिजनों पर जो जुलम हो रहा है हर स्टेट में इन को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, अभी पिछले दिनों उड़ीसा में वाक्या हुआ, चार आदमी कत्ल किये गये, मद्रास में हुआ, मध्य प्रदेश में मारा गया, उत्तर प्रदेश में मारा गया, कल हरियाणा का वाक्या आपने सुना और सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट यह कह कर मामले को टाल देती है कि यह स्टेट सब्जैक्ट है, क्या इन को प्रोटेक्शन देना उस की जिम्मेदारी नहीं है? अगर राज्य सरकारें इन को प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, माइनोरिटी कम्यूनिटीज की हिफाजत नहीं कर सकती तो इस का साफ मतलब है कि वहां ला एण्ड आर्डर फेल हो गया है। इस लिये मैं चाहता हूं कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के मातहत एक सेल कायम करे। सी० बी० आई० या सी० आई० डी० के जरिये जहां भी ऐसे वाकयात हों, उन की जाच करा कर, डायरैक्ट इन मामलों में मदाखलत करे।

9वीं बात—अनटचेबिलटी या छुआछात की बीमारी क्या है—दरअसल आज तक इस को समझने में हम कासिर रहे। हमारे यहां जो शास्त्र, वेद, पुराण हैं जिनके जरिये हमारे यहां वर्णाश्रम को कायम किया गया है—ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्री, शूद्र—ये जो चार किस्म के वर्णाश्रम बनाये गये, उन में आज तक इन को शूद्र बना कर रखा गया। पिछले दिनों शंकराचार्य के मुताल्लिक हम ने यहां पर शोर मचाया था। उन्होंने कहा था कि हम हिन्दू धर्म की इस मर्यादा को तोड़ नहीं सकते। हमारे हिन्दुओं में बहुत से लोग ऐसे हैं, जो आज भी इन चीजों में विश्वास नहीं करते, जिनमें से कुछ कांग्रेस में चले गये, कुछ बी०के०डी० में चले गये, कुछ

कम्यूनिस्टों में चले गये, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जनसंघ बन कर देश में हिन्दू धर्म को दोबारा कायम करना चाहते हैं, जो पुरानी सभ्यता को फिर से कायम करना चाहते हैं, ऐसे लोग अभी भी शंकराचार्य का स्वागत करते हैं, जिन का हम ने यहां पर बाइकाट किया हुआ है, जिनके खिलाफ आन्दोलन किया था। लेकिन वे लोग अभी भी उन का स्वागत करते है, अभी हाल में जब वह अमृतसर गये तो इन लोगों ने वहां इन का स्वागत किया। मैं उन लोगों को यह कहना चाहता हूं कि अगर वह उस पुरानी हिन्दू सभ्यता को कायम करने की कोशिश करेंगे तो इस देश के 15 करोड़ आदमी कट मरेंगे, लेकिन उस सभ्यता को फिर से इस देश में नहीं आने देगें।

10वीं बात—परसों तुलसी दास_ का एक समागम यहां पर मनाया गया। तुलसी दास को लोग नेशनल-कवि तसव्वर करते हैं... (व्यवधान).. उस में बहुत से लोग भी गये थे, मिनिस्टर साहबान भी गये थे, हमारी प्राइम मिनिस्टर भी गई थीं और उन की वहां पर बहुत प्रशंसा की गई, उस तुलसी दास की जो वर्णाश्रम का प्रचार करता है। उस के दो श्लोक आप के सामने रखना चाहता हूं—उस ने कहा है—

"ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी" इस का मतलब है ढोल, गंवार आदमी, शूद्र और औरत-जाति ये चारों ताड़ना के अधिकारी हैं।...

श्री रणधीर सिंह : लेकिन हरिजन तो नहीं कहा है।

श्री साधू राम : दूसरा श्लोक सुनिये—

पूजिये विप्र ज्ञान गुणहीना,
पूजिये न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीना।

इस का मतलब है कि पंडित चाहे जितना भी नालायक हो, उस की पूजा करो और शूद्र चाहे बड़ा ज्ञानी हो, उस की पूजा मत करो। यह उन का कथन है। मैं यह समझता हूं कि जब तक ऐसे तुलसीदासों, मनुस्मृतियों और शंकराचार्यों पर पाबन्दी नहीं लगाई जायगी, तब तक हिन्दुस्तान से अनटचेबिल्टी, छूआछात खत्म नहीं हो सकती। इन के खिलाफ़ आन्दोलन करने के लिये हम को खुद खड़ा होना चाहिये और उन का मुकाबला करने के लिये कमरबस्ता हो जाना चाहिये। हमारा मुंह आप जैसा है, हमारी आंखें आप जैसी हैं, मंदिरों में आप क्या लेने जाते हैं। ऐसे मन्दिरों को बन्द कर देना चाहिये, जिनमें आप ने भगवान को बन्द कर रखा है।

इस लिये, चेयरमैन साहब, आप की मारफत मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन सब चीजों को नजर में रखते हुए, गरीब हरिजनों और पिछड़े लोगों की रक्षा करने के लिये आप को जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिये।

सभापति महोदय : सबसे अच्छे वक्ता ने भी अब तक 17-18 मिनट लिये हैं, लेकिन आप ने 30 मिनट लिये हैं....

श्री राम चरण (खुर्जा) : इस लिये आप को टाइम बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा।

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : अगर नहीं बढ़ायेंगे तो कल से कोई हरिजन पार्लियामेंट में नहीं आयेगा और किसी चीज का समर्थन नहीं करेगा।

SHRI SONAVANE (Pandharpur) : I want to make a submission. We are considering three reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Elayaperumal Committee's report, spread over three or four years ; they have been lumped together and are being considered together. So, it is reasonable, justifiable and logical that we should have a minimum of 20 hours for this discussion, at

[Shri Sovavana]

the rate of 5 hour for each report. It is anything less than 20 years, then we are not prepared to listen. If the Business Advisory Committee does not allow 20 hours, we shall boycott this house and we shall walk out.

सभापति महोदय : अभी इस को चलने दीजिये आप लोगों ने इस सवाल को डिप्टी स्पीकर साहब के सामने उठाया था। अब स्पीकर साहब इस पर विचार करेंगे। आजकल तो यह चल रहा है, बन्द होने नहीं जा रहा है। स्पीकर साहब के पास यह मामला जायेगा और वही इसको तय करेंगे। पांच, दस, बीस या तीस घंटा जो कुछ भी है, यह मामला उनके पास जायेगा और वही इसको तय करेंगे।

श्री मोलहू प्रसाद । ...(व्यवधान)...

श्री मोलहू प्रसाद (बांसगांव) : सभापति महोदय, अगर ये हमारे बोलने में बाधा उत्पन्न करेंगे तो यह निश्चित है कि इनके बोलने पर हम बाधा उत्पन्न करेंगे।

सभापति महोदय : आप चेयर को सम्बोन्धित कीजिए।

श्री मोलहू प्रसाद : ये जो ** बैठे हैं वह बोलने नहीं देते हैं। ...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : आपने जो यह शब्द इस्तेमाल किया है वह निकाल दिया जायेगा।

श्री मोलहू प्रसाद : आप इसको निकाल दीजिए लेकिन अगर ये हमारे बोलने में फिर बाधा उत्पन्न करेंगे तो मैं फिर इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा।

सभापति महोदय, जो रिपोर्ट यहां पर बहस करने के लिए पेश की गई हैं, अगर हमारी पार्टी के लीडर श्री मधु लिमये जोकि आजकल उत्तर प्रदेश की जेल में हैं उन्होंने पिछले सत्र में अगर अपने विधेयक को वापिस न लिया होता तो शायद इस पर बहस करने की नौबत ही न आती। मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा गैर सरकारी विधेयक वापिस लेने से यहां पर उस रिपोर्ट पर बहस करने का अवसर प्राप्त हुआ। दूसरा धन्यवाद मैं आपको देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। तीसरा धन्यवाद मैं इस कमेटी के लोगों को देना चाहता हूं जिन्होंने अपने साहसपूर्ण विवेक से इस सरकार को, इस सदन को और इस देश को सचेत किया है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इस कमेटी ने जितनी रिपोर्टें दे दी हैं, जितनी सिफारिशें कर दी हैं अगर उन्हीं सिफारिशों को ठीक ढंग से लागू किया जाये तो इस देश की अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की काया पलट हो सकती हैं। इससे अधिक आलोचना करने की मेरे पास शब्द नहीं हैं। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 30 जनवरी, 1969 को दे दी उसके बाद समाज कल्याण राज्य मंत्रियों की 29 जनवरी, 1970 की बैठक में इस रिपोर्ट पर विचार किया गया। सात महीने का समय बीत चुका है लेकिन मुझे ज्ञात हुआ है कि किसी भी राज्य सरकार ने इसकी सिफारिशों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं भेजी है। यह जो टाल मटोल की कार्यवाही चल रही है उस के सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वैसे तो जो समाज कल्याण मंत्रालय है उसकी जितनी आलोचना इस कमेटी ने की है उससे अधिक शब्द मेरे पास नहीं हैं जो मैं कह सकूं। सात महीने का समय बीत चुका है लेकिन एक भी राज्य सरकार ने इसके सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया नहीं भेजी है। सरकार का रवैया यही रहा है कि किसी समस्या को टालने के लिए एक कमेटी बिठा दो। जब उस कमेटी की रिपोर्ट आये तो वह रद्दी की टोकरी में पड़ी रहे। जब उस पर काफी हल्ला मचे तो दूसरी कमेटी बिठा दो जोकि इस बात

** Expunged as ordered by the Chair.

को देखे कि उस पर इम्प्लीमेन्टेषन होना चाहिए या नहीं। उसी तरह से इस कमेटी की रिपोर्ट पर फिर दूसरी कमेटी बनाई जा रही है यह देखने के लिए कि किस सिफारिश को इम्प्लीमेंट किया जाये और किस को इम्प्लीमेन्ट न किया जाये। मेरा निवेदन है कि इस सरकार के पास इस कमेटी की सारी सिफारिशों को न मानने का कोई तर्क नहीं हैं, कोई कारण नहीं है। वैसे तो अस्पृश्यता के सम्बन्ध में उन्होंने 12 सिफारिशें दी हैं, आर्थिक विकास के सम्बन्ध में 13 सिफारिशें दी हैं, शैक्षिक विकास के सम्बन्ध में 46 सिफारिशें दी हैं, अनुसूचित जाति की सेवाओं और पांचवें भाग में 132 सिफारिशें दी है। अगर सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें उनको लागू नहीं करेंगी तो यह अनुसूचित जाति और आदिम जाति का मामला कभी सुलझ नहीं सकता हैं। सभी रिपोर्टों की तरह से अगर इस को भी लागू नहीं किया गया तो फिर इस बहस का कोई मतलब नहीं निकल सकता है।

अभी हमारे पुराने विद्वान नेता भंडारे साहब ने मजिस्ट्रेट की बात कही लेकिन इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के 74 पेज पर लिखा है कि पुलिस के अधिकारी जोकि इन मामलों की जांच करने वाले हैं उनको यह पता नहीं है कि अस्पृश्यता निवारण विधेयक भी कोई बना है या नहीं। आजादी के पहले जो सामाजिक कानून थे वे ज्यादा प्रभावी थे लेकिन आजादी के बाद जो अस्पृश्यता निवारण अनधिनियम बना है उसको निष्प्रभावी बना दिया गया है। क्यों कि जब किसी मामले की कोई जांच ही नहीं होगी तो न्यायाधीश अपना निर्णय क्या देगा। इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि पुलिस अधिकारियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के पाठयक्रम में इस विषय को भी शामिल किया जाये ताकि उनको अनटचेबिलिटी कानून का ज्ञान हो सके।

जहां तक कृषि मजदूरों का सम्बन्ध है, चौथे अध्याय में कहा गया है कि यह समस्या भारत जैसे पिछड़े देश में और भी बिकट है जहां पर कि लोग आम तौर से एक ही व्यवसाय अपनाते हैं और जब उससे खाली होते है तो निकम्मे बैठे रहते हैं। अनुसूचित जातियों के कृषि मजदूरों में अपूर्ण रोजगार की समस्या कितनी बड़ी है, इस सम्बन्ध में आधार सामग्री उपलब्ध नहीं है। उन्होंने इस सम्बन्ध में सिफारिश दी है कि साठ वर्ष की आयु से अधिक ऐसे सभी अनुसूचित जाति व्यक्तियों को जिनकी कोई आय नहीं है और जिनको कोई सहारा देने वाला नहीं है वृद्धावस्था पेंशन दी जानी चाहिये। इस पेंशन की दर निर्वाह मूल्य के अनुसार निश्चित की जानी चाहिये लेकिन वह इतनी अवश्य होनी चाहिए जिसमे खाने और कपड़े का खर्च चल सके।

उनकी दूसरी सिफारिश यह है कि पूरे देश में, नगरों में और गांवों में हमारे कई सरकारी उपक्रम हैं। यदि 50 प्रतिशत श्रम-कार्य (मजदूरी) अनुसूचित जातियों के भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए आरक्षित रखी जाय तो इससे इन बेचारे अभागे लोगों को रोजगार मिलने में सहायता मिलेगी और आर्थिक दृष्टि से वे ऊंचे उठ सकेंगे अतः समिति सिफारिश करती है कि सभी सरकारी उपक्रमों में 50 प्रतिशत मजदूरी का काम अनुसूचित जातियों के भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए आरक्षित रखा जाये।

अब इससे ज्याद मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर इसी सिफारिश को सरकार कार्यान्वित करे तो इस देश के बहुत से मामले सुलझ सकते हैं।

शैक्षिक वाले मामले में समिति ने 55 पेज पर लिखा है कि हाल ही में अनेक प्रतिष्ठित

[श्री मोलहू प्रसाद]

भारतीय नेताओं ने पब्लिक स्कूलों की इस प्रणाली की अत्यधिक आलोचना की है। उन्होंने ठीक ही कहा है कि ये वर्गगत स्कूल हैं न कि सार्वजनिक (अर्थात् पब्लिक) स्कूल भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री चागला ने इन स्कूलों की जनता द्वारा की गई आलोचना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया यह कहकर स्पष्ट की है कि पब्किल स्कूलों को विशेषाधिकार प्राप्त जनसमुदाय की ही संख्या नहीं होनी चाहिए। परन्तु इसके स्थान पर उन्हें शैक्षिक श्रेष्ठता की संस्था होना चाहिए। परन्तु सरकार वस्तुतः यह चाहती है कि ये स्कूल तथाकथित भद्रों के लिए नहीं बल्कि उन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए बने रहें जो अपनी सामाजिक और आर्थिक हैसियत के बावजूद इनसे लाभ उठा सकें, तो शिक्षा को या तो निःशुल्क कर दिया जाना चाहिए या उसकी आर्थिक व्यवस्था पूर्णतः सरकार को करनी चाहिये।

हम आशा करते हैं कि हर सिफारिशों पर सरकार शीघ्र ध्यान देगी ताकि कम से कम बच्चों की तरफ से ही एकता वाला मामला शुरू हो। तब जवानों में अपने आप आयेगी। अभी तो किसी तरह से भी एकता नहीं है, बूढ़ों की तरफ से नही है, जवानों की तरफ से नहीं है और बच्चों की तरफ से नहीं है। इसलिए कम से कम बच्चों की तरफ से ही एकता वाला मामला शुरू किया जाए। आजकल नगरपालिका और जिला परिषदों की तरफ से प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं और दूसरी तरफ पब्किल स्कूल और कान्वेन्ट स्कूल चल रहे हैं तो कम से कम प्राइमरी शिक्षा ही एक समान शुरू होनी चाहिए ताकि उनमें एकता की भावना उत्पन्न हो सके। यह साम्प्रदायिकता विरोधी आन्दोलन से कुछ होने वाला नहीं है।

अब मैं इस कमेटी की एक सिफारिश की ओर आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं। इस कमेटी ने लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों से उनके अधीन सेवाओं को अनुसूचित जातियों के वास्तविक प्रतिनिधित्व के बारे में जानकारी मांगी। राज्य सभा से तो कोई उत्तर नहीं मिला, परन्तु लोक सभा सचिवालय ने सूचित किया कि—"सुप्रतिष्ठत संसदीय परम्पराओं के अनुसार यह सचिवालय भारत सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति को" किसी ऐसे विषय से संबंधित जानकारी नहीं देता जो अध्यक्ष के पूर्णाधिकार के अन्तर्गत हो।"

सम्बन्धित आंकड़े न होने के कारण हम यह नहीं बता सकते कि लोक सभा और राज्य सभा सचिवालयों के पदों और सेवाओं में काम करने वाले अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है या नहीं। इस विषय में स्मरण पत्र भी भेजे गये थे—लेकिन व्यर्थ। "इस सम्बन्ध में एक रोचक तथ्य यह है कि काफी वर्षों से अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के आयुक्त भी इन दोनों सांविधिक निकायों से उक्त आवश्यक जानकारी पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु असफलतापूर्वक तब भी संसदीय परम्परा का वही तर्क पेश किया गया था और आयुक्त को भी बाहर का प्राधिकारी माना था। आयुक्त ने अपनी 1959-60 की रिपोर्ट में ठीक ही कहा था कि इस विषय में संविधान के अनुच्छेद 338 में लिखित और स्पष्ट उपबन्ध है, अतः उक्त अनुच्छेद के उपबंधों को कोई भी परम्परा प्रभावशून्य नहीं कर सकती है, और संविधान के अन्तर्गत किसी विशेष प्रयोजन के लिये नियुक्त किसी अधिकारी को राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार इकट्ठी की जाने वाली जानकारी देने के लिये बाहर की संस्था नहीं माना जा सकता। हम आयुक्त के इस दृष्टिकोण का पूरा समर्थन करते हैं और सिफारिश करते हैं कि सरकार को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए कि दोनों

सांविधिक कार्यालय कम से कम आयुक्त के संगठन को तो आवश्यक जानकारी नियमित रूप से भेजते ही रहे, साथ ही वे अपने भर्ती नियमों में अनुसूचित और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण करने की आवश्यक व्यवस्था भी कर दें।"

मैं सोच रहा था कि हमारे पुराने सीनियर मेम्बर श्री भंडारे जरूर इस बात पर ध्यान देंगे कि जब राज्य सभा सचिवालय और लोक सभा सचिवालय में, जो डिमाक्रेसी का प्रतिबिम्ब हैं, इन मामलों को नहीं उठाया जा सकता है, यहीं इस चीज को पूरा नहीं किया जा सकता है, तब देश के किसी और कोने में कैसे लागू किया जा सकता है। आप यहां के मंत्रियों के विषय को लीजिये। 55 मंत्री हैं, लेकिन 55 में से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के सिर्फ 6 मंत्री हैं। क्या यह 15 परसेंट होता है? यह 105 परसेंट है। जब यहीं इस को पूरा नहीं किया जा सकता है तब देश के दूसरे किसी कोने में कैसे पूरा किया जा सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। मैं चाहूंगा कि यहीं आप इस परसेंटेज को पूरा कर के पहले एक आदर्श उपस्थित करें तब सारे देश में आप इस को कर सकेंगे।

इसी तरह से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और सांविधिक निकायों के आधीन सेवाओं पदों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व की बात है। इसमें भारत सरकार की 51 प्रतिशत धन-राशि लगी हुई है। उन पर केन्द्रीय सरकार के सारे कानून कायदे लागू होते हैं। यदि केन्द्रीय सरकार रिजर्वेशन के मामले को स्वीकार करती है तो उन में रिजर्वेशन देने में उस को क्या कठिनाई है? इस से उस की नियत का पता लगता है कि सरकार कहां तक इस चीज को लाना चाहती है। वास्तव में सारे देश की अर्थ-व्यवस्था इस लिये बिगड़ रही है कि आप लोगों ने पिछले 22 वर्षों में प्राईवेट सैक्टर को बढ़ावा दिया, लेकिन आप पब्लिक सैक्टर में भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के रिजर्वेशन का मामला ठीक नहीं कर सके। आप ने योजनाबद्ध तरीके से सारे देश में प्राईवेट सेक्टर को बढ़ाया और यह बराबर बढ़ता गया लेकिन उनमें भी अनुसूचित जाति के लोग खप नहीं सके क्योंकि उन के यहां आप रिजर्वेशन का मामला ठीक नहीं कर सकते। अगर सरकारी सेक्टर का विकास हुआ होता तो उस में अनुसूचित जाति के लोग खप सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार कहती है कि देश समाजवाद की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन बुनियादी बीमारी वहीं से शुरू की गई है। मैं चाहूंगा कि जहां पर भारत सरकार की 51 परसेंट धन-राशि लगी हुई है, उन के सम्बन्ध में भारत सरकार रिजर्वेशन आदि के मामले को शीघ्र से शीघ्र लागू करे।

जब इस देश में अंग्रेजी राज्य था उस वक्त जितनी भरती की जगह थीं जैसे लोक सेवा आयोग, रेलवे सेवा आयोग, स्टेटों के लोक सेवा आयोग, उनमें जो एग्जामिनर होते थे उन में अंग्रेजी सरकार ने एक मुसलिम क्लास 1 आफिसर नियुक्त किया था ताकि मुसलिम कम्यूनिटी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो। चूंकि हिन्दू कम्यूनिटी मैजारिटी में हैं इस लिये मुसलिम कम्यूनिटी के साथ सेवाओं में भेद भाव न हो यह खयाल रक्खा जाता था। लेकिन आजादी के बाद वह बात खत्म हो गई। इस तरह की व्यवस्था के बारे में कमेटी की रिपोर्ट में भी है, लेकिन मैं पृष्ठ भूल गया हूं। यह इतनी वृहत् रिपोर्ट है कि वह इस वक्त खोजने से नहीं मिलेगा। लेकिन जितनी सरकारी सेवाओं में भरती की जगहे हैं उन में हर जगह, जहां एग्जामिनर वगैरह बैठते हैं, कापी जाचते वक्त, नम्बर देते वक्त, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड

[श्री मोलहू प्रसाद]

ट्राइब्ज का एक क्लास 1 अफसर जरूर नियुक्त होना चाहिये, ताकि सेवाओं में उनके साथ कोई भेद भाव या पक्षपात न हो सके।

अभी श्री साधू राम ने एक चौपाई कही। मैं भी तुलसीदास की एक चोपाई बतलाना चाहता हूं। मैं बतलाना चाहता हूं कि रामचरित मानस की चतुर्शती मनाने के लिए जो कमेटी है उसका अध्यक्ष कौन है? सतिया काण्ड के अभियुक्त के पिता महामान्य पं० कमला पति त्रिपाठी, मंत्री कौन है? माननीय सुधार पाण्डे। उस की स्वागत समिति में कौन है? कर्ण सिंह जी। महामंत्री कौन हैं? गृह-मंत्रालय के मंत्री महामान्य कृष्ण चन्द्र पन्त। जब गृह मंत्री इस संस्था के प्रवचनों का आदर करेगा तो किस अधिकारी में हिम्मत है कि उस के खिलाफ कार्रवाई कर सके, यह मैं नहीं समझ पाता। जब प्रधान मंत्री ने उस संस्था का उद्घाटन किया तब उसकी भावना के खिलाफ कौन पुलिस का अफसर कार्रवाई कर सकेगा? मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि उसी राम चरित मानस में तुलसी दास ने कितनी बढ़िया बात कही है, और प्रधान मंत्री के कान तक भी उसको पहुंचाना चाहता हूं। तुलसीदास ने कहा है कि :

"नारि स्वभाव सत्य कवि कहहीं।
अवगुण आठ सदा उर रहहीं॥"

यह हमारी प्रधान मंत्री के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। यह तुलसी दास के शब्द हैं। इसलिए माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा उसकी तरफ ध्यान दिलाते हुए मैं प्रधानमंत्री के सामने इसको रखना चाहता हूं। यानी सती स्त्री चाहेकितनी सच्चरित्र हो, उसके अन्दर आठ अवगुण अवश्य पाये जायेंगे। पुरुष में कितने अवगुण होते हैं यह कहीं पर भी नहीं दिया गया है। एक शब्द भी उन्होंने इसके लिए नहीं बतलाया है। मैं सहीं समझता कि तुलसीदास समाज के सुधारक थे या बिगाड़ने वाले थे। तुलसीदास ने यह भी लिखा है कि एक शूद्र को तपस्या करते हुए रामचन्द्र ने बाण से मार डाला। इस तरह की रामायण से आप हमको उपदेश दिलवा रहे हैं। एक लव्य जैसे शूद्र के अंगूठे को द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में काट लिया ताकि उसकी क्षमता समाप्त हो जाए। इस तरह की बातें रामायण और महाभारत में लिखी हुई हैं। जब हमारे मंत्री लोग इस तरह के जलसों में भाग लेते हैं तब देश में साम्प्रदायिकता की लहर बढ़तीं है और भेदभाव की भावना फैलती है। आप कहते हैं कि इस तरह की बातों के लिए कारंवाई की जाये, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह के मतभेद रहते हुए इस देश में कोई सुधार हो हकता है।

मैं चाहूंगा, कि इस कमेटी की जितनी सिफारिशें हैं सरकार किसी भी तरीके से उनको अस्वीकार न करे। उसको उनको स्वीकार कर लेना चाहिए और उनको कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाना चाहिए।

श्री बेना कुरील (रामसनेही घाट): सभापति महोदय, आज तीन वर्षों की रिपोर्टों और पेरूमल कमेटी रिपोर्ट पर साथ ही साथ डिस्कशन हो रहा है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस पर ऐतराज किया है। मुझे भी ऐतराज है। जिस तरह से देश के सारे लोग इन आदमियों की तरफ उपेक्षा की नजर रखते हैं, मैं नहीं चाहता कि हम लोग यह इम्प्रेशन दें कि यह हाउस भी उनके प्रति उपेक्षा की दृष्टि रखता है। सालाना रिपोर्ट आने से उनमें जो खामियां बतलाई जाती हैं उनका सुधार हो सकता है, लेकिन तीन तीन सालों की रिपोर्ट एक साथ आने से कोई फायदा नहीं होता। ऐसा मलूम होता है कि पार्लियामेंट के पास

टाइम नहीं है उनके मसलों पर विचार करने का और उनको हल करने का। मेरा सुझाव है कि आइन्दा हर साल की रिपोर्ट हाउस में पेश होनी चाहिए और उसी साल उस पर डिस्कशन हो जाना चाहिए तथा उसमें जो भी खामियां बतलाई जाती हैं, कमियां बतलाई जाती हैं उन का इम्प्लिमेंटशन भी हो जाना चाहिए। आज कल उनका इम्प्लिमेंटेशन नहीं होता। एक रिचुअल सा हो गया है, रुटीन सा हो गया है कि रिपोर्ट आई, उस पर डिस्कशन हो गया, मेम्बरों ने अपने बलबले निकाल लिए, मिनिस्टर ने सुन लिया और फिर उसको वैसे ही रख दिया गया। मेरा सुजाव है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो खामियां बतलाई जाती हैं, जो सुझाव दिए जाते हैं, जैसा श्री मोलहू प्रसाद ने कहा, अगर उनका इम्प्लिमेंटेशन हो जाए तो बहुत सी समस्या हल हो जाएं। आज इम्प्लिमेंटेशन होता क्यों नहीं है? इसलिए कि सवाल धन का आ जाता है। कहा जाता है कि धन नहीं मुहैया किया जा सका इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकी। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है लेकिन सरकार ने उसको गम्भीर समस्या नहीं माना। राष्ट्रीय समस्या होते हुए भी हमने इसको राष्ट्रीय समस्या नहीं माना है।

दूसरी एक और बात है। इस देश के चाहे सरकारी लोग हो, गवर्नमेंट के लोग हों या दूसरे हों उनके सोचने का तरीका यह हो गया है कि जो पैसा हम इन लोगों पर खर्च करते हैं, यह चैरिटी के तौर पर करते हैं, कोई दान है जो दिया जाता है। कुछ धन इनके वास्ते खर्च कर दिया तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। वे ऐसा महसूस नहीं करते कि इन लोगों के कुछ हक हैं। इस देश का जो पैसा है, इस देश की जो दौलत है, उसके ये भी हकदार हैं और उसी हिसाब से पैसा इनके उत्थान के लिए खर्च किया जाना चाहिये चूंकि इस तरह की भावना पैदा हो गई है, इसी वास्ते ये सारी दिक्कतें हैं।

17 hrs.

पंचवर्षीय योजनाओं में हमने इनके वास्ते पैसा रखा है। पहली योजना में 26 करोड़ रुपया रखा था। दूसरी में 78 करोड़ रखा। तीसरी में 102 करोड़ की व्यवस्था की। 1968-69 में 64 करोड़ रखा। चौथी योजना में हम 142.40 करोड़ रखने जा रहे हैं। परन्तु यह जो धन है, समस्या के आकार को देखते हुए बहुत ही कम है, कुछ भी नहीं हैं। यह तो उसी तरह है जिस तरह एक बनिये ने एक किसान के साथ मिल कर खेती करनी शुरू की। नाले का पानी बहने लगा। उसको उस ने बन्द करना शुरू किया। उसने कुछ मिट्टी डाली लेकिन पानी बहता ही गया। उसने फिर डाली लेकिन पानी बन्द नहीं हुआ चौदह पंद्रह किलो मिट्टी जब वह डाल चुका और पानी बन्द नहीं हुआ और इसकी शिकायत उसने किसान से की तो किसान ने कहा कि फावड़ा उठाओ और इस में मिट्टी भरते जाओ तब तक जब तक यह बन्द न हो जाए। तोल कर मिट्टी डालने से यह बन्द नहीं होगा। उसी तरह से यह जो समस्या है यह भी बहुत बड़ी है। सरकार को इसके लिए धन समुचित मात्रा में मुहैया करना चाहिये। दान समझ कर पैसा न दिया जाए। इधर उधर थोड़ा बहुत पैसा खर्च करने से काम नहीं चलेगा। यह तो लोगों को भुलावा देना मात्र होगा। इतना मात्र कह देने से कि हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तुम्हारी समस्याओं को हल कर रहे हैं, समस्यायें हल नहीं होंगी। आज तक यही होता आया है। अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिये। आश्वासन तो बराबर दिये जाते हैं लेकिन समस्याओं को हल करने की कोशिश नहीं की गई है, उन आश्वासनों को पूरा करने की

[श्री वै० ना० कुरील]

कोशिश नहीं की गई है। इस वास्ते मेरा सुझाव है कि रिपोर्ट्स के ऊपर जो सुझाव दिये जाते हैं और जो खामियां बताई जाती हैं उनको दूर किया जाए और उन सुझावों पर अमल किया जाए और काफी पैसा इस काम के लिए मुहैया किया जाए। सरकार पैसा कहां से लाए यह मैं नहीं जानता। यह इस देश के लोगों की जिम्मेदारी है कि इसके लिए धन पूल करें। जो पाप उन्होंने या पिछली पीढ़ियों ने किया है, उसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया जाता है तो शान्ति नहीं बनी रह सकेगी। श्री साधु राम ने भी इसकी ओर संकेत किया है। उसकी थोड़ी बहुत शुरुआत भी हो गई है।

सरकार ने जो आज तक इनके लिए काम किया उस में सब से अच्छा काम यह किया है जहां तक मैं समझता हूं कि उनके वास्ते शिक्षा का प्रबन्ध किया है, उनको शिक्षित करने की कोशिश की है। लेकिन जब इन्होंने देखा कि शिक्षा पा कर ये कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अफसर भी बड़े बड़े हो रहे है, तो स्लो पायजनिंग करना शुरू कर दिया गया। कहां से यह शुरू हुआ? मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है इसके बारे में लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि पिछले हमारे जो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के कमिश्नर थे उन्होंने इसको इंजैक्ट किया, स्लो पायजनिंग को इंजैक्ट किया, उन्होंने कहा कि इनको ऊंची शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है, इनको आठवीं, नवीं या अधिक से अधिक हाई स्कूल तक की शिक्षा देना ही पर्याप्त होगा और उसके बाद इनको कहीं इधर उधर लगा दिया जाना चाहिये पुराने पेशों में लगा दिया जाना चाहिये। अगर इनको आगे पढ़ाया जाएगा तो शासन में ये अपने अधिकार मांगेंगे। इस वास्ते उन्होंने कहा कि इनको आगे नहीं पढ़ना चाहिये। शुरू कैसे किया इसको? उस में उन्होंने प्लानिंग कमिशन को भी शामिल कर लिया फाईनेन्स मिनिस्ट्री को भी शामिल कर लिया और कहने लगे कि यह कमिटिड एक्सपैंडिचर है, स्टेट गवर्नमेंट्स शिक्षा के काम को करेंगी हम जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट् इसको नहीं कर सकती हैं। हम लोग देख ही रहे हैं और हमारा अनुभव भी है कि एक मद के लिए रुपया दिया जाता है उसको दूसरी मद में इधर उधर खर्च कर देती हैं। इस मद का भी दूसरी मद में खर्च कर देगी। कोई चारा आपके पास नहीं है, कोई गरंटी नहीं है, कि जिस मद के लिए दिया जाता है, इसको आप देख सकें कि कि उसी में खर्च किया जाएगा। जो कमिटिड एक्सपेंडीचर है वह अगर शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज के लिए है तो उन्हीं पर खर्च होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि इस पर फिर से गौर किया जाए और पैसा खर्च करना सैंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहे और वही इस को खर्च करे।

श्री गोविन्द मेनन सोशल वैलफेयर मिनिस्टर थे। उन्होंने हाउस को बहुत विश्वास दिलाया था। लेकिन सैक्रेटेरिएट लेवेल पर बात करने से मालूम हुआ कि वे इसको नहीं कर सकते हैं। पानी यहां तक चढ़ गया है। प्राइम मिनिस्टर हर मीटिंग में चाहे वह लाल किले की मीटिंग हो या देश के किसी कोने की मीटिंग हो, यह कहने से नहीं चूकती है कि इन लोगों की समस्या हल होनी चाहिये लेकिन अफसरों का एटीट्यूड क्या है? मिनिस्टर कहता है कि हमको इस तरह से किया जाएगा लेकिन अफसर कहते हैं कि हम नहीं करेंगे। यह जो रवैया है यह बदलना चाहिये।

अब आप देखिये कि कमेटी की रिपोर्ट हैं कि शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्ज़ के लड़कों को स्कालरशिप की जो राशि दी दी जाती है और जो बहुत पहले तय की गई थी वह बढ़नी चाहिये। आश्वासन भी यहां दिया गया था कि

उसको बढ़ाया जाएगा। अफसर लोग कहते हैं कि कुछ नहीं बढ़ाया जाएगा। पैसा नहीं है। जो पैसा भी दिया जाता है यह समझ कर दिया जाता है कि दान दिया जा रहा है अगर कुछ दे दिया तो दे दिया और नहीं दिया तो नहीं दिया। कोई जरूरत नहीं है। और कामों में पैसा खर्च करो। यह जो रवैया है, यह बदलना चाहिये।

जब जमीन देने की बात आती है। यह कंट्रोवर्शल प्वाइंट बन गया है। मैं इसके हक में नहीं हूं कि जबर्दस्ती जमीन छीनी जाए। उससे गरीब तबके को, कमजोर तबके को कोई फायदा नहीं होगा, दूसरे ही इसका फायदा उठा लेंगे। इस वास्ते कमजोर तबकों को इसमें नहीं पड़ना चाहिये। मैं गवर्नमेंट से निवेदन करना चाहता हूं। जितनी भी फाल्तू जमीन उसके पास है, उसको तुरन्त इन लोगों में बांट दिया जाए। भूमि सुधार तुरन्त लागू किये जायें। अगर लागू नहीं किये तो जो नतीजे होंगे वे आपको भुगतने पड़ेंगे, कोई उन से बच नहीं सकेगा। होता क्या है? उत्तर प्रदेश में एक कानून बना जैसे ही पंचायती राज कायम हुआ और जमीन गांव समाज के पास गई। यह कहा गया कि जो फाल्तू जमीन है जो परती जमीन है, उसको एलाट करते वक्त शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या? जब पट्टे होने लगे तो वहां असैम्बली ने एक और कानून पास कर दिया, एक एमेंडमेंट पास कर दिया कि हर गांव में दस परसेंट जमीन अलग से रख ली जाए। इसको अब आठ परसेंट कर दिया गया है। आठ परसेंट जमीन फाल्तू पड़ी हुई है। उसको टच नहीं किया जा सकता है। जब बहस की गई तो कहा गया कि वहां तालाब खुदेंगे, चरागाह होगी, पौध लगाए जायेंगे। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं सब जमीन बेकार पड़ी हुई है। सौ सौ, अस्सी अस्सी या डेढ डेढ़ सौ बीघे जमीन जो पड़ी हुई है उसके बारे में कहा जाता है कि यह रिजर्व्ड है, सुरक्षित है। अब हरिजन जा कर फीता ले कर नाप तो सकता नहीं है कि यह इतने बीघे है और यह रिजर्व वाली है।

अब यह जितनी भी जमीन है, इसको तो उन में बांटा ही जा सकता है। कहीं से कुछ लेने की बात यहां पैदा नहीं होती है। यह सरकारी जमीन है गांव समाज से ले कर, उसको रिज्यूम करके तुरन्त इनको बांटा जा सकता है। कुछ ऐसा नियम बना हुआ है कि गवर्नमेंट इसको रिजूम जब तक नहीं करेगी तब तक इसको बांटा नहीं जा सकता है। अब वहां जो सभापति हैं उनके वैस्टिड इंटरेस्ट हैं। अगर हरिजनों के पास जमीन चली जाएगी तो इनकी जो जमीन है उनको कौन जोतेगा। हरिजन तो अपनी जोतेगा, इनकी क्यों जा कर जोतेगा? इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस ओर भी आपका ध्यान जाए।

लैंड सीलिंग जो किया गया वह भी दिखाने के लिए किया गया प्रापेगंडे के लिए किया गया। कहीं जमीन निकल नहीं पाई सीलिंग से। जहां भी आपने सीलिंग लगाई है कही कोई जमीन आपको नहीं मिली हरिजनों में बांटने के लिए, गरीबों में बांटने के लिए। यह कहकर कि स्टेट गवर्नमेंट को इसको करना है, आपका इसमें कोई हाथ नहीं है, काम नहीं चलेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स की जो दुर्गति होगी, वह तो होगी ही, उसके बाद आपकी भी होगी। इस वास्ते आप इस काम को भी जल्दी पूरा करें।

मैं टैक्नीकल एजूकेशन की बात भी कहना चाहता हूं। इसके लिए शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइबज् के लोगों को वजीफा जो दिया जाता है वह बहुत कम दिया जाता है। आई० आई० टी० में अगर कोई पढ़ना चाहता है तो दो सौ रुपया महीना खर्चा आता है। जबकि उनको आप पचास रुपया महीना ही देते हैं। किस

[श्री वें० ना० कुरील]

तरह से वे इनमें पढ़ सकते हैं । नतीजा यह होता है कि जो कोटा उनके लिए रिजर्व वहां किया जाता है, वह खाली रह जाता है । दिल्ली आई० आई० टी० की मिसाल आप लें । 1968-69 में 29 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइबज़ के लिए रिजर्व थीं । लेकिन कोई भी नहीं जा सका दोनों में से । 1969-70 में 34 और 11 अलग अलग से रिजर्व थे, लेकिन इसका परसेंटेज निल रहा । कानपुर में शेड्यूल्ड कास्टस के लिए 34 और ट्राइबज़ के लिए 22 रिजर्व थीं । दोनों में इनका परसेंटेज निल रहा । 1969-70 में 42 और 14 रिजर्व थीं लेकिन दोनों को मिलाकर पांच आदमी ही पहुंच सके । अगर आप वाकई इनकी समस्या हल करना चाहते हैं तो इनकी शिक्षा की ओर खास ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा । उनको पूरा वजीफा देना चाहिए, ताकि वे पढ़ सकें ।

जो लोग एलिजिबल हैं, गवर्नमेंट आफ इन्डिया उनको सेंट-पर-सेंट पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप देती हैं । लेकिन उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है । कहीं भी स्कालरशिप पूरे नहीं दिए जाते हैं । कहीं पांच दस परसेंट से ज्यादा नहीं दिए जाते हैं । अगर ये विद्यार्थी दसवीं या हायर सेकंडरी पास नहीं कर सकेंगे तो वे पोस्ट मैट्रिक स्टेज में कैसे जायेंगे ? इस लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा पैसा देकर प्री मैट्रिक स्कालरशिप की व्यवस्था करे और वे स्टेट गवर्नमेंट के जरिये से विद्यार्थियों को मिलें, ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें ।

ये लोग शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से इतने पिछड़ गए है कि जब तक गवर्नमेंट खुले हाथ से प्रयत्न नहीं करेगी, तब तक उसके प्रयत्न हाफ-हार्टिड रहेंगे, तब तक कोई समस्या हल नहीं हो सकती है । जैसा कि मैंने पहले कहा है कि सरकार इसको राष्ट्रीय समस्या समझ कर इसके लिए धन इकट्ठा करे—अगर वह वाकई इस काम को करना चाहती है । मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब अपना उत्तर देते समय यह बतायें कि गवर्नमेंट किस तरह धन इकट्ठा करेगी । अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है तो फिर झूठे वायदे करने से क्या लाभ ? मिनिस्टर साहब साफ कह दें कि हम इस काम को बन्द कर देंगे, यह हमसे नहीं हो सकता है, हमने और काम करने हैं । गवर्नमेंट और काम करे और इन लोगों को अपने सहारे पर छोड़ दे । ऐसा करने पर वे लोग अपना कोई रास्ता निकाल लेंगे ।

SHRI S. M. SOLANKI (Gandhinagar) : Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on the Report of the Committee on Untouchability, Economic and Educational Development of the Scheduled Castes and also on the Sixteenth, Seventeenth and Eighteenth Reports of the Commissioner for Scheduled Caste and scheduled Tribes for the year 1966-67, 1967-68 and 1968-69.

The Government has put these various Reports before the House. It would have been very convenient for the Government if these Reports would have been submitted after the General Elections of 1972, and would have been discussed by the new Members on the Fifth Lok Sabha. But the hon. Minister, Shri Hanumanthaiya, might have thought to come out of the attacks from the Members so that he could easily think over this matter in the inter-session period as to how to implement it and how to do best for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people.

The hon. Minister has been the Member of this House and he has been speaking like us in the House. I think, he will think over this matter for an early decision to implent it.

Our Indian demoracy has a qualified and distinct stand point of liberty, economic and social progress and political awakening in

the society. Under article 17 of the Constitution, the untouchability is abolished and its practice, in any form, is forbidden. The Untouchability Offences Act was passad by the Parliament on 2nd May, 1955. Still this evil of untouchability remains even after 20 years of Independence which is a blot on us. The problems of removal of untouchability is related to the problem of cast patriotism in a wider context. I would say, unless the caste patriotism is removed from this country, the untouchability cannot be eradicated completely.

Secondly, untouchability is based upon some sort of untouchable professions which require some scientific equipment so that those engaged in unclean professions may not be looked down upon in the eyes of others. I think Government should do this thing first. I hope Shri Hanumanthaiya will think over this matter and will implement it.

Democracy loses its value and purpose if man's inhumanity to mean is allowed to continue. Social justice is the back-bone of national integrity and strength. This denial of opportunity and any discrimination on the basis of caste or profession is not congenial to our national and social growth. Our Indian democracy says that every kind of faith, every kind of culture and all sorts of rights and privileges and every mode of living is allowed to flourish. I have no confidence at all to believe that this Government will do boldly. Our Prime Minister, Shri Chavan and many other fellow travelling crew are more concerned with the slogan mongering and not doing anything. All are in pursuit of the chair in the Treasury Benches. Some are on the point of getting something and some are in the waiting list hoping to get some thing like Chairmanship and other things. Shri Jagjivan Ram claims himself as the leader of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I find for the last 4 years he is sitting like a bridegroom in cabinet in this House. He has never uttered a single word for this. He has never uttered a single word in the Cabinet for the Scheduled Castes and Scheguled Tribes. Still I must give credit to him. For the last six months he is bold enough not to vacate either of the Chairs. He is bold enough to preserve the Chair. But Shri Hanumanthaiya will not deny this.

To understand the present situation let us have a glance in the past history of our country. We were slaves of foreigners for the last thousand years. We were never united in the harmony and united in strength to rule out the foreigners from this country. We were divided by different religions, castes and creeds and as a result our social and economical condition was deteriorating. The condition of these untouchables was worse than that. The scheduled Castes and Scheduled Tribes people were the slaves of slaves. But in our freedom movement a new and encouraging climate was created. It was a rousing call to every citizen of India to shed his last drop of blood for the country for getting the difference of religion, caste and creed which was fertilised by the thirsty Britishers in pursuit of their imperialist policy of divide and rule.

Hot patriotism was roused to save the motherland which was caught in the shackles of slavery to the imperialists who had impoverished the country since the last two centuries. In a likewise manner after getting freedom the same mentality of thirsty Britishers has gained ground and the same thirst of caste Hindus has impoverished a group of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes people for the last 1000 years. To-day the same policy of divide and rule is flourishing in this country. This inhibited policy of divide and rule has created communal riots in this country. The same palicy of Britishers has divided this country into Pakistan and India. The Muslims get the justified share but the Harijans did not. To-day this slogan of 'I am for the minorities' has repeated history, Today, the slogan 'I am for the minorities' has resulted in history repeating itself. It has created enmity towards each other. It was nourished communal hatred between the Hindus and Musilms.

The slogan of Congress (R) that "we are for the minorities" will given birth to groups and divisions in our country. The

[Shri S. M. Solanki]

fresh growth and support of the Muslim League is the best example to be noted in this connection. But, by this policy of 'divide and rule' of the party in power, will it not be more dangerous to Muslims than the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people who are supporting the Government today?

Sir, we are forgetting the principles of Secularism. In our country the minorities have to acquire their share by virtue of secularism.

Instead of encouraging the principles of Secularism, we have encouraged only sectaranianism in this country.

I will give you one example. A father has two or three sons. If the brothers are fighting with each other, what should the father say ? The father should say 'You should stop fighting'. He should say, 'You are brothers ; you should not quarrel with each other'. In this connection, I wish to say that the same policy of divide and rule which is pursued by the Britishers is being followed by the Congress (R). The Muslims Hindus and Harijans are all brothers in this country. So we must create such an atmosphere in this country so that they can unite and they can get all their privileges and rights which we secured from the Britishers at the time of our freedom movement.

Regarding communal riots, we have never seen such tragic picture in the history of demcracy in any other county as we have seen it in our country, in which Harijans are burnt, killed and murdered and girls and women raped and property looted, privileges captured, economically suppressed, physically threatened, mentally poisoned lands for livelihood not given, reservation not filled up, percentage in services not maintained, proper wages not given, fixed promotions not given and so many other privileges denied. Who is responsible for this thing ? The Government at the Centre is responsible to the entire country to ensure that law and order abiding citizens are not divested of their lives and properties in anarchy, loot violence and arson. In our country we find many Harijans are burnt and murdered.

In this connection I want to give one example, In Gujarat recently in a village sudasana in Mehsana district one Harijan was murdered. He was praying in a Shiva temple before God Shiva. At that time his throat was cut off by the Pujari and he was murdered. So, this is one example. There is another example also. One Harijan murdered in Sanand taluk in Ahmedabad district. All this happened because the police department is corrupt. Therefore, special benches of judiciary are needed at every district especially in the case of these Harijans.

In the Services the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are not getting their promotion due to adverse confidential reports intentionally written by the higher officers.

I want to bring to the attention of the Government one important point about the quantum of scholarships, and about the pattern of scholarships. In this critical period when the rates of all commodities have gone up, this amount of scholarships must be doubled for the Harijans and Scheduled Caste people. The income-bracket limit is very dangerous for them. It will stop them from studying further in the colleges. The income limit at present is Rs. 3600 per year. Even an ordinary clerk gets more than Rs. 4000 to Rs. 5000 per year. If in his family six or seven members are there, then it is not possible for him to maintain his family. So, there is no question of his being able to spare some money for fees in the colleges or the high schools. Therefore, I want to suggest to the hon. Minister that this income limit must be increased up to a minimum of about Rs. 8000 per year.

Regarding Government waste land, I have to say many things. Today, Government have innumerable acres of such land which are idle lying which are cultivated by some *dadas* in the villages. In the records, this land is Government waste land, but actually the land is cultivated by some people. In the record, you will always find that is Government waste land not cultivated by any one. When the Harijans are allotted land they are generally given this land ; the *dadas* are not going to vacate it, and there-

fore the Harijans are not able to get the land. When the land is available and they apply, the panchayat turns this land into *gow-char* land, and so, the Harijans are not able to get the land.

Therefore, I would suggest that some parliamentary committee or some commission must be oppoin:ed to survey the Government waste land in the country and in the particular area where they hold the camp in any State, the MLAS and Scheduled Caste workers from that area must also be included in the committee for the time being as co-opted members.

I am sorry to say that this Government had always neglected the Scheduled Castes before the split in their party. I have already mentioned these things in such harsh words, and other Members have also pressed their points without any hesitation on this Government. But I would like to submit that the Secheduled Castes and Scheduled Tribes people will never create such danger in this country like Muslims. By threatening, they had got Pakistan. But these Harijans and Adibasis are with the country. Still, even after 22 years they are not geeting even their social and oconomic rights and privileges. It is very tragic picture in the history of India and in the history of democracy. I wanted to say more about these things, but since my time is up, I shall conclude, tahnking you for time given to me.

श्री नाथूराम ग्राहिरवार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदय, तीन चार साल पुरानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के कमिश्नर की रिपोर्ट पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और बिलकुल जैसा कि माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए है ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा वर्ग है जिस के ऊपर कोई खैरात कर रहे हों, बख्शीस दे रहे हों......

MR. CHAIRMAN : The hon. Member may continue his speech on the next day.

17.29 hrs.

DISCUSSION *Re.* MIGRATION OF HINDU MINORITIES FROM EAST PAKISTAN—*contd.*

MR. CHAIRMAN : The House will now take up futher discussion on the large-scale migration of Hindu minorities from East Pakistan and the steps taken by the Government to check it. The time allotted is only one hour. And there are so many Members who want to speak.

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : The time may be extended.

श्री रोबेन सेन (ग्रासनसोल) : सभापति महोदय, उस दिन मैं यह कह रहा था कि ईस्ट बंगाल के रिफयूजीज के बारे में केन्द्रीय सरकार की तरफ से अवहेलना चल रही है रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर ने हमारे प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया है, मैं उस की तरफ आप का ध्यान खींचना चाहता हूं। उस में कहा गया है—

> "Under the Nehru-Liaquat Pact of April 1950, migrants from East Pakistan retain their property rights in properties left behind by them in that country".

यह कहा गया है कि जो लोग अब ईस्ट पाकिस्तान से चले आ रहे हैं इस नेहरू-लियाकत पैक्ट के अनुसार उन को कम्पेन्सेशन नहीं दिया जा सकता—

> "As the migrants have property rights in their property, the question of grant of compensation them does not arise".

उन को कम्पेन्सेशन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उन का प्रापर्टी-राइट पाकिस्तान में है। इस के बारे में फिर कहा है...

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooch-Behar) : Is this not the concern of the Rehabilitation Minister ? I dont find him here.